

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन  
वित्तीय वर्ष 2018–19



उद्यान निदेशालय, हिमाचल प्रदेश  
नव-बहार, शिमला-171002

## विषय सूची

क्र० सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1-4
2.	उद्देश्य व सामयिक नीति	5-6
3.	प्रशासनिक संरचना तथा कार्य प्रणाली	7-12
4.	बजट	13-16
5.	उद्यान विकास एवं प्रसार	17-27
6.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें	28-32
7.	फल पौध पोषण	33-36
8.	उद्यान विपणन	37-40
9.	पौध संरक्षण	41-42
10.	मौन पालन	43
11.	पुष्प उत्पादन	44-46
12.	फल विधायन एवं परिरक्षण	47-48
13.	खुम्ब उत्पादन	49-51
14.	उद्यान सूचना सेवा	52-54
15.	उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी	55-56
16.	बागवानी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित, हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना	57-59
17.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	60-62
18.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उप-धारा (i) नियम (b) सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचना।	63-74

## अध्याय-1

### प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है। बागवानी द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र के व्यवसायीकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विविध जलवायु अनेक प्रकार के फलों के उत्पादन के लिये उपयुक्त है। यहां शीतोष्ण से लेकर उपोष्णीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले 35 प्रकार के फलों का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने फलों के उत्पादन में पिछले कुछ दशकों में प्रशंसनीय प्रगति की है, जिसके कारण इस प्रदेश को फल राज्य के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा है। फल उत्पादन से यहां के कृषकों का जीवन स्तर भी काफी ऊंचा हुआ है। राज्य ने देश में 'सेब राज्य' के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है तथा अब यह 'भारत का बागवानी राज्य' बनने की ओर निरन्तर अग्रसर है। प्रदेश में सेब के अतिरिक्त अन्य फल जैसे कि आम, लीची, नींबू प्रजाति के फल, प्लम, आड़ू, नाशपाती, चैरी, जापानी फल, बादाम, अखरोट, पीकान नट, जैतून आदि की व्यवसायिक बागवानी की जा रही है। कीवी फल, स्ट्रॉबेरी, अनार, पपीता जैसी फल-फसलों ने बागवानी के क्षेत्र में एक नई आशा जगाई है। फलोत्पादन में हिमाचल प्रदेश इसलिये भी लाभ की स्थिति में है क्योंकि यहां के आम, लीची, अमरुद व नींबू प्रजातीय फल मैदानों की अपेक्षा कुछ समय के बाद पकते हैं। फलस्वरूप उत्पादकों को अच्छे दाम प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में उपलब्ध जलवायु में इतनी विविधता है कि फलों के अतिरिक्त पुष्प एवं सब्जियों की खेती की भी अपार सम्भावनाएं हैं। यहां की जलवायु न केवल पुष्प उत्पादन के लिये अनुकूल है बल्कि प्रदेश के कई जिलों में फूलों का उत्पादन उस समय होता है जबकि अन्य प्रदेशों में फूल उपलब्ध नहीं होते। इसके अतिरिक्त प्रदेश में खुम्ब उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा मसालों की खेती की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बागवानी मिशन के अन्तर्गत सब्जी उत्पादन के कार्य को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में गुणवत्तायुक्त 19.44 लाख फलदार पौधों का वितरण किया गया तथा 5,839.07 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी के अन्तर्गत लाया गया। बागवानों की फल पौधों की मांग यदि विभागीय फल पौधशालाओं, डॉ० वाई० एस० परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रदेश की निजी पंजीकृत पौधशालाओं में उत्पादित फल पौधों से अधिक हो तो विभाग द्वारा राज्य के बाहर से भी उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। विभिन्न किस्मों के फलदार पौधे जिसमें आम की आम्रपाली, मलिका, रामकेला, दशहरी-51, लीची की देहरादून, कलकत्तिया तथा आंवला, आड़ू, जापानी फल, पीकान नट, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी व अनार की उन्नत प्रजातियों के फल पौधे वितरित किये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश का कुल 2.31 लाख है० क्षेत्र बागवानी के अन्तर्गत लाया गया तथा 4.95 लाख मी० टन फलोत्पादन हुआ जिसमें मुख्यतः सेब का योगदान है।

फलदार पौधों में पोषक तत्वों की वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिये पत्ती विश्लेषण विधि का प्रयोग विश्व भर में व्यापक रूप से किया जा रहा है। हिमाचल में भी बागवानों को यह सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1974 से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वर्मीकम्पोस्ट इकाईयां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस अवधि में 99 नई वर्मीकम्पोस्ट इकाईयां कृषकों द्वारा स्थापित की गईं। इसके साथ राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत कीट प्रबन्धन कार्यक्रम के दृष्टिगत रझाणा (शिमला) स्थित जैव नियंत्रण प्रयोगशाला से लाखों मित्र कीट सेब, आड़ू, अनार और नींबू प्रजातीय फलों के कुछ नाशीजीवों के नियन्त्रण हेतु बागीचों में छोड़े गये तथा 158.67 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार फल उत्पादकों विशेष कर सेब बागवानों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए कृतसंकल्प है। हमारे बागवान पहले से चली आ रही सेब की किस्मों के साथ-साथ अब उन्नत किस्मों के सेब का उत्पादन भी कर रहे हैं ताकि बाज़ार में वे अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। लेकिन बाज़ार में विदेशी सेब की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें विपणन के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मापदण्डों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि बागवान सेब को निर्धारित पैकिंग की क्षमता के अनुसार ही भरें। अतः यह आवश्यक है कि सेब के अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण रूप से अपनाया जाना, सभी के लिए फायदेमंद है। हिमाचली सेब को देश-विदेश की प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिये बागवानों को सेब, निर्धारित की गई पैकिंग की क्षमता के मुताबिक ही भरना होगा। बागवानों की सेब की बड़ी पैकिंग बाईस किलो (24 कि.ग्रा.) तथा छोटी पैकिंग पेंटी सहित ग्यारह किलो (12 कि.ग्रा.) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि बागवान निर्धारित की गई पैकिंग क्षमता के आधार पर फलों का विपणन करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें मंडी में भी बेहतर दाम मिलेंगे।

बाज़ार में बहुतायत में आने वाले फलों (Marketable Surplus) के उपयोग के लिये सरकार ने दृढ़ नीति बनाई है। बागवानों को उनकी फल फसल के उचित दाम दिलाने हेतु प्रदेश सरकार ने मण्डी मध्यस्थता के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में आम, सेब, किन्नु, माल्टा, सन्तरा एवं गलगल फलों का प्रापण किया गया है। इसमें जहां एक ओर फल विधायन उद्योग में विविधता लाने के लिये फलों पर आधारित वाईन व साईडर जैसे पेय पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक डिब्बाबन्दी इकाईयों की स्थापना तथा इसके माध्यम से घरेलू स्तर पर फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण का प्रशिक्षण देना सम्मिलित है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बागवानी के समेकित विकास हेतु हिमाचल प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। बागवानी मिशन के अन्तर्गत फल पौधशालाओं, जल संसाधनों का निर्माण, बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, हरित गृहों में संरक्षित खेती, जैविक खेती, मशीनीकरण, फसलोत्तर प्रबन्धन, फल विपणन तथा फल विधायन जैसे अनेक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 से अब तक कुल ₹412.92 करोड़ विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त किये गये जिसमें से ₹394.49 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के 244507 बागवानों को लाभान्वित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2007-08 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (Rashtriya Krishi Vikas Yojna) भी उद्यान विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके द्वारा औद्यानिकी विकास एवं अनुसन्धान हेतु अनेक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 2018-2019 में औद्यानिकी विकास की परियोजनाओं हेतु कुल ₹322.35 लाख की धन राशि खर्च की गई तथा 2033 बागवान लाभान्वित किए गए हैं।

हाल के वर्षों में देखा गया है कि ग्लोवल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से अप्रत्याशित मौसम की स्थिति उत्पन्न हुई है। हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही संवेदनशील है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदायें अधिक से अधिक गम्भीर और बार-बार आ रही हैं। यह फल फसलों को गम्भीर नुकसान पहुंचा रही है और राज्य में बागवानी उद्योग की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। फल फसलें प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति संवेदनशील हैं, और फसल बीमा इन प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए विकल्पों में से एक है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रायोगिक आधार पर रबी मौसम 2009-10 के दौरान सेब के लिए 6 ब्लाक और आम के लिए 4 ब्लॉक में "मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)" शुरू की

थी। किसानों से उत्साह जनक प्रतिक्रिया मिलने तथा इसके सफल कार्यान्वयन से इस योजना के तहत कवरेज साल दर साल बढ़ रहा है। वर्तमान में इस योजना को सेब के लिए 36 ब्लॉक, आम के लिए 41 ब्लॉक, पलम के लिए 13 ब्लॉक, आड़ू के लिए 5 ब्लॉक और नीम्बू वर्गीय फल के लिए 15 ब्लॉक में पुनर्गठित-मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। ओलावृष्टि (Add-on/Index-plus) जैसे अतिरिक्त मौसमी कारकों को सेब उगाने वाले सभी जिलों में लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन बागवानों को सम्मिलित किया गया है जो पहले से ही रबी सीज़न में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा करवा चुके थे।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 1,61,524 बागवानों ने बीमा करवाया तथा 70,104 बागवानों को ₹49.94 करोड़ की बीमा राशि का प्रभावित बागवानों को भुगतान किया गया। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 18.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रदेश सरकार ने ओला वृष्टि जैसी आपदा से फल फसलों को बचाने हेतु ओला अवरोधक जालियों के लिए बागवानों को बागवानी मिशन के अन्तर्गत दिये जा रहे अनुदान की राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक किया है। किसानों को उनकी सीमित कृषि योग्य भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु उद्यान विभाग संरक्षित खेती को निरन्तर प्रोत्साहन दे रहा है। हरित गृह निर्माण के लिए किसानों को दिये जा रहे उपदान को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक किया है। इसी प्रकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लघु सिंचाई हेतु राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत बागीचों में टपक एवं फव्वारा सिंचाई हेतु बागवानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

बागवानों से सीधा संवाद स्थापित करने, नवीनतम तकनीक के स्थानान्तरण तथा मौके पर उनकी समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से उद्यान प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को नवीनतम तकनीक पहुंचाने हेतु जिला, राज्य तथा राज्य के बाहर औद्यानिकी के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मानव संसाधन विकास हेतु तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से अवगत करवाया गया।

बागवानी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित, हि0 प्र0 उद्यान विकास परियोजना, प्रदेश में वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ की गई है। यह परियोजना कुल ₹1134 करोड़ से सात वर्षों में कार्यान्वित की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य चिन्हित बागवानी उत्पादों तथा फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, लघु किसानों व कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक सेब, चैरी, नाशपाती, पलम, आड़ू आदि के 7.54 लाख पौधे आयात किए गये हैं जिन्हें प्रारम्भ में उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश के चिन्हित फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों के फार्म में लगाया गया है। इनमें से अब तक 1,19,794 पौधे बागवानों में वितरित किए जा चुके हैं। निचले घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों में पृथक रूप से 28887 फल पौधे परियोजना के अन्तर्गत बागवानों में वितरित किए गए हैं। आगामी वर्षों में भी पौधों का आयात किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें विभिन्न उन्नत किस्म के पौधे तथा मूलवृत्त भी आयात किए जाएंगे। इस परियोजना के अन्तर्गत उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अब तक 196 बागवान समूह बनाए गए जिनमें 2367 बागवानों का चयन किया गया है, जबकि निचले घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों में 61 समूह बनाए गए तथा 608 बागवानों का चयन किया गया है।

प्रदेश के बागवानों को समायिक तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए M-Kisan सेवा प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत 7,68,774 किसानों का पंजीकरण किया गया ताकि बागवान अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान करके सफल फलोत्पादन कर सकें।

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बूंद, अधिक फसल उत्पादन मद् के अन्तर्गत किसानों एवं बागवानों को विभिन्न प्रकार की सहायतायें एवं सुविधायें प्रदान कर रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लघु एवं सीमांत किसानों/बागवानों (Small & Marginal Farmers) को 80 प्रतिशत अनुदान (55 प्रतिशत भारत सरकार + 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार) अधिकतम 2.0 हैक्टेयर प्रति बागवान तथा बड़े किसानों/बागवानों को 45 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5.0 हैक्टेयर प्रति बागवान का प्रावधान है। प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बूंद, अधिक उत्पादन के अन्तर्गत 298 किसानों/बागवानों को 161.42 लाख खर्च कर लाभान्वित किया गया।

प्रदेश में बागवानी विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए नई योजनाएं— हि0प्र0 पुष्प क्रांति योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, ओला अवरोधक जालियां की स्थापना तथा मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना आरम्भ की गई हैं।

बागवानी विकास के लिये उपरोक्त कठिनाइयों के बावजूद प्रदेश में आधुनिक तकनीक द्वारा प्रति इकाई अधिक फलोत्पादन व गुणवत्तायुक्त फल पैदा करने की अपार सम्भावनायें हैं। भारतीय अर्थनीति के उदारीकरण और वैश्वीकरण ने हिमाचली मूल के फलों को अन्य देशों में निर्यात करने के अवसर बढ़ा दिए हैं। बागवानी सम्बन्धी गतिविधियों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करने, संसाधनों का सुनिश्चित उपयोग करने तथा बागवानी में विविधता लाने के लिये उद्यान विभाग प्रयासरत है।

## उद्देश्य व सामयिक नीति

फल राज्य से बागवानी राज्य की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। बागवानी का प्रदेश की सकल आय में महत्वपूर्ण योगदान देखते हुये 21 सितम्बर, 1970 को उद्यान विभाग अस्तित्व में आया। विभाग द्वारा प्रदेश की जलवायु एवं भूमि की विविधता के मध्यनजर बागवानी के विविधीकरण की ओर विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उद्यान विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में अनुसन्धान एवं विकास, फलोत्पादन तथा उत्पादकता एवं फसलोत्तर प्रबन्धन के लिए सुस्थापित ढांचा विकसित किया गया है।

प्रदेश के बागवानों की आर्थिकी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा उद्यान विकास की अन्य योजनाओं के साथ-साथ संरक्षित व जैविक खेती, जल संग्रहण, बागीचों का जीर्णोद्धार तथा बागीचों में सिंचाई सुविधा (टपक व फव्वारा सिंचाई प्रणाली) की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बागवानी के विकास हेतु उद्यान विभाग द्वारा जो उद्देश्य तथा सामायिक नीति बनाई गई है, वह इस प्रकार है:-

### 1. उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना:

- स्थानीय जलवायु, भूमि और जल स्रोतों के अधिकाधिक दोहन तथा संरक्षण (Rejuvenation) करके बागवानी का सतत विकास।
- मैदानी एवं निचले क्षेत्रों की बंजर भूमि जहां पर बागवानी की अधिक क्षमता है, का समुचित विकास करना।
- पुरानी किस्मों के स्थान पर नई स्वयं फल देने वाली फसलों को लगाना तथा आधुनिक बागवानी द्वारा उत्पादकता बढ़ाना।
- संरक्षित खेती के अन्तर्गत कम घनत्व-अधिक आय वाली फसलों-फूलों तथा सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना।
- ओला अवरोधक जालियों को बढ़ावा देकर फसल को ओले के प्रकोप से बचाना।
- उत्तम पौध के संवर्धन हेतु फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान तथा पौधशालाओं को विकसित करना।
- गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री के लिये "पौधशाला पंजीकरण अधिनियम" के अन्तर्गत पौधों को लगाने हेतु उन्नत किस्मों के कीटव्याधि मुक्त पौधों को उपलब्ध करवाना।
- जलवायु परिवर्तन एवं कृषि मौसम क्षेत्र के बदलने/स्थानान्तरण/परिवर्तन की स्थिति के अनुरूप बागवानी में विविधता लाना।
- स्वरोजगार हेतु खुम्ब उत्पादन तथा मौन पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- फलों की आधुनिक खेती, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, एकीकृत कीट प्रबन्धन, एकीकृत पोषण प्रबन्धन तथा संरक्षित खेती को प्रोत्साहन देना।

- प्रदेश के निचले पहाड़ी क्षेत्र जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां आम की इन-सीटू पद्धति द्वारा पौध रोपण का अभियान चलाना ।
2. तकनीकी हस्तांतरण द्वारा कौशल विकास:
- इलैक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रशिक्षण शिविर/कार्यक्रम, संगोष्ठी, कार्यशाला, अध्ययन भ्रमण और प्रदर्शनियों द्वारा आधुनिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना/अवगत करवाना ।
3. फसलोत्तर प्रबन्धन/सुधार:
- NHB (National Horticulture Board), DMI (Directorate of Market & Inspection), NCDC (National Cooperative Development Corporation), APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority), तथा NAFED (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India), के सहयोग से निजी उद्यमियों को ढांचागत आधुनिक पैकिंग ग्रेडिंग हाऊस (शीत गृह/भण्डार/वातानुकूलित भण्डार/कोल्ड चैन) की स्थापना के लिये आकर्षित एवं प्रोत्साहित करना ।
  - पुष्प एवं खुम्ब जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद (निजी तथा सहकारी/सहकारी क्षेत्र) के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु बल देना ।
4. विपणन तथा विधायन :
- पैकिंग की वैकल्पिक व्यवस्था व बागवानों को उनकी प्रमुख फल फसलों के लाभकारी मूल्य दिलवाने हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना को लागू करने की नीति ।
  - उद्योगों में उद्यान उत्पादों को बढ़ावा देना ।
  - फलों पर आधारित उत्पाद का निर्माण कर फल विधायन में विविधता लाना ।
  - फल विधायन उद्योगों को प्रोत्साहन देना ।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा, सुविधायें उपलब्ध करवाना ।
5. प्रशासनिक सुधार :
- तकनीकी तथा सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खाली पदों को क्षेत्रीय स्तर पर भरना ।
  - खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत तथा नैटवर्किंग द्वारा कार्य की गुणवत्ता तथा कुशलता को बढ़ावा देना ।



प्रशासनिक संरचना एवं कार्य प्रणाली

हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान हैं। वर्तमान में माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा बागवानी मन्त्री श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी के मार्गदर्शन में उद्यान विभाग प्रगति की ओर अग्रसर है। इस वित्तीय वर्ष में जो अधिकारी विभिन्न स्तर पर विभाग में कार्यरत रहे हैं, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सचिवालय स्तर:

1. श्री आर० डी० धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्यान) हिमाचल प्रदेश
2. श्री चमन दिल्ली अतिरिक्त सचिव (उद्यान) हिमाचल प्रदेश
3. श्री सुरेश चन्द डोगरा एवं वेद प्रकाश भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी (उद्यान) हिमाचल प्रदेश

निदेशालय स्तर:

1. श्री एम० एस० राणा एवं श्री एम० एल० धीमान निदेशक उद्यान विभाग
2. श्री एच० आर० शर्मा, श्री एम० एस० राणा एवं श्री एम० एल० धीमान अतिरिक्त निदेशक उद्यान (उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला)
3. श्री शशी शर्मा एवं डा० एम० एम० शर्मा परियोजना निदेशक (बागवानी तकनीकी मिशन)/ संयुक्त निदेशक-2 उद्यान विभाग
4. श्री अजय कुमार धीमान संयुक्त निदेशक-1 उद्यान विभाग
5. श्री राम लाल कपिल एवं श्री कर्म चन्द आजाद संयुक्त निदेशक उद्यान-III
6. श्री जमीत सिंह पटानिया एवं श्री राम पाल सांख्यान, वरिष्ठ विपणन अधिकारी
7. श्री पवन कुमार ठाकुर एवं श्री सुरेश शर्मा वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी
8. श्री राम लाल सांख्यान, नोडल अधिकारी उद्यान विकास परियोजना (कार्यान्वयन इकाई), निदेशालय उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
9. श्री कर्म चन्द आजाद एवं श्री तेज राम बुशैहरी, फल प्रौद्योग विज्ञ
10. श्री गोविन्द सिंह जोगटा, उप निदेशक उद्यान (उद्यान विकास परियोजना)
11. श्री जे० पी० शर्मा, उप-निदेशक उद्यान (सूचना)
12. श्री विद्या सागर शर्मा उप-निदेशक उद्यान (योजना)
13. श्री राकेश कुमार धीमान, वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी
14. श्री लोकेश लोहिया, विषय विशेषज्ञ उद्यान (योजना एवं विकास)
15. श्री तेज राम बुशैहरी एवं श्रीमती शिवाली ठाकुर, विषय विशेषज्ञ उद्यान (बागवानी तकनीकी मिशन)
16. श्री नरेश कुमार वशिष्ठ, विषय विशेषज्ञ उद्यान (प्रशिक्षण एवं सूचना)
17. श्री अमर पाल सिंह कोछड़, विषय विशेषज्ञ उद्यान (गुणवत्ता नियन्त्रण)
18. श्री सी० एम० बाली, विषय विशेषज्ञ उद्यान (पौध पोषण)

19. श्रीमती माला शर्मा, विषय विशेषज्ञ उद्यान (पौधशाला निरीक्षण एवं पंजीकरण)
20. श्री देवेन्द्र ठाकुर, विषय विशेषज्ञ उद्यान (बागवानी तकनीकी मिशन एवं इ.ए.पी. सैल)
21. श्री के० के० सिन्हा, विषय विशेषज्ञ उद्यान (जैव नियन्त्रण)
22. श्री दीपक कुमार गुप्ता विषय विशेषज्ञ उद्यान (पुष्प)
23. श्री भुपेन्द्र सिंह नेगी विषय विशेषज्ञ उद्यान उद्यान विकास परियोजना (कार्यान्वयन इकाई), निदेशालय उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
24. श्रीमती सुदर्शना नेगी विषय विशेषज्ञ उद्यान (विपणन)
25. श्री मनीत सिंह वर्मा एवं श्री देवेन्द्र पाल, सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)

निदेशालय स्तर पर प्रशासनिक तथा अन्य तकनीकी कार्यों को सुचारु रूप से निपटाने हेतु 11 शाखाएं स्थापित की गई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. स्थापना प्रभाग - उद्यान-I, 2. लेखा व व्यय प्रभाग - उद्यान-II, 3. लेखा परीक्षा प्रभाग- उद्यान-III, 4. तकनीकी योजना प्रभाग- उद्यान-IV, 5. बजट एवं लेखा समाधान प्रभाग- उद्यान-V, 6. फल विधायन एवं परिरक्षण- उद्यान-VI, 7. उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी- उद्यान-VII, 8. उद्यान विपणन तथा फसलोत्तर प्रबन्धन- उद्यान-VIII 9. उद्यान सूचना सेवा- उद्यान-IX, 10. फल पौध पोषण- उद्यान-X एवं 11. पुष्प उत्पादन- उद्यान-XI

बागवानी सम्बन्धी कार्यों को तीव्र गति से कार्यान्वयन हेतु प्रदेश को दो क्षेत्रों में बांटा गया है-उत्तरी क्षेत्र व दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में जिला कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति का लाहौल उप-मण्डल सम्मिलित है। उत्तरी क्षेत्र में औद्यानिकी गतिविधियों की देखरेख अतिरिक्त निदेशक उद्यान, धर्मशाला द्वारा की जाती हैं। दक्षिणी क्षेत्र में जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मण्डी, किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति का स्पीति उप-मण्डल सम्मिलित हैं तथा इनकी देखरेख का कार्य सीधे निदेशक उद्यान के पास है। निदेशक उद्यान विभाग राज्य में उद्यान विकास की गतिविधियों को सीधे संचालित/नियन्त्रित करते हैं। अन्य अधिकारी निदेशक उद्यान विभाग के समग्र नियन्त्रण में अपने-अपने क्षेत्र में कार्यों की देखरेख करते हैं।

जिला स्तर पर समस्त बागवानी विकास की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये प्रदेश के 12 जिलों में उप-निदेशक उद्यान नियुक्त किए गए हैं जबकि विकास खण्ड स्तर पर बागवानी विकास कार्य विषय विशेषज्ञ उद्यान/उद्यान विकास अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। ग्राम स्तर पर दो से पाँच ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके वृत्त गठित किए गए हैं, उनमें एक उद्यान प्रसार अधिकारी कार्यरत है जो विभाग का मूल स्तर का कार्यकर्ता है। विभाग में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

श्रेणी	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
I	373	188	185
II	34	30	04
III	891	640	251

IV	1129	795	334
कुल योग..	2427	1653	693

वर्ष 2018-19 में विभाग के प्रशासनिक ढांचे के सुदृढीकरण तथा कार्य को सुचारु एवं सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये कुछ पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति/प्लेसमेंट, अनुकम्पा द्वारा भरा गया। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध/दैनिक श्रमिकों को नियमित भी किया गया। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4	कुल पद
1.	सृजित किए गये पदों की संख्या	-	-	4	3	7
2.	सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों की संख्या	-	-	35	1	36
3.	पदोन्नति/प्लेसमेंट द्वारा भरे गये पदों की संख्या।	18	-	39	-	57
4.	अनुकम्पा के आधार पर भरे गये पदों की सं०	-	-	2	-	2
5.	स्थाई किए गए कर्मचारियों की संख्या	-	-	-	-	-
6.	अनुबन्ध/दैनिक श्रमिकों से नियमित किए गए कर्मचारियों की संख्या।	-	-	1	12	13

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को मार्गदर्शिका के अनुसार पर तय मानकों के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारियों को निदेशालय से विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है जिनकी उपलब्धियों की समीक्षा निदेशालय स्तर पर समय-समय पर की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इन योजनाओं की त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति की समीक्षा की जाती है।

विधि अनुभाग-2018-19 :

संयुक्त निदेशक उद्यान -I की देख-रेख में विधि अधिकारी द्वारा विभाग से सम्बन्धित अदालती मामलों का निपटारा किया जाता है। इस अनुभाग का कार्य विभाग से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों में दायर मुकद्दमों से सम्बन्धित मामलों का निदेशालय स्तर पर अभिलेख रखा जाता है। विधि अधिकारी इन मामलों का सरकारी अधिवक्ताओं की सहायता से सरकार तथा विभाग का पक्ष समयानुसार सम्बन्धित न्यायालयों में पेश करते हैं। वर्तमान में उद्यान विभाग में विभिन्न न्यायालयों में जो मुकद्दमों विचाराधीन हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	मुकद्दमों (Case) का प्रकार	कुल मुकद्दमों	लम्बित विचाराधीन मुकद्दमों की अवधि	टिप्पणी
1.	माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन केस।	3	2008 से	विशेष अनुमति याचिका दर्ज की गई हैं तथा मामलों को समय-समय पर पेश किया गया।

2.	माननीय उच्च न्यायालय के अधीन केस	31	2012-18	सभी मामलों में जवाब दर्ज किये गये तथा समय-समय पर पेश किये ।
3.	उच्च न्यायालय से प्रशासनिक प्राधिकरण में स्थानान्तरित हुए ।	34	2015-17	सभी मामलों में जवाब दर्ज किये गये तथा समय-समय पर पेश किये ।
4.	पत्र वैटिड अपील	2	2011-15	सभी मामलों में जवाब दर्ज किये गये
5.	प्रशासनिक प्राधिकरण में लम्बित मामले	118	2015-18	सभी मामलों में जवाब दर्ज किये गये तथा समय-समय पर पेश किये ।
6.	उपभोक्ता न्यायिक मामले	4	2018-19	सभी मामलों में जवाब दर्ज किये गये तथा समय-समय पर पेश किये ।
कुल लम्बित मामले		193		

लेखा परीक्षा अनुभाग :

उद्यान विभाग के लेखा परीक्षा अनुभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान अनेक पैरों का समायोजन करवाया गया। लेखा परीक्षा सम्बन्धित पैरों की स्थिति दिनांक 01.04.2018 से 31-03-2019 तक इस प्रकार रही:-

क्र०सं०	विवरण	पैरा विवरण	रिपोर्ट की संख्या	पैरों की संख्या
1.	01-03-2018 तक बकाया ऑडिट पैरों की संख्या ।	सिविल	32	37
		राजस्व	09	17
		इन्वैस्टमेंट	4	4
		सिविल / राजस्व	61	293
		योग	106	351
2.	01-04-2018 से 31-03-2019 तक महालेखाकार द्वारा ऑडिट के दौरान सम्मिलित पैरों की संख्या ।	सिविल	—	—
		राजस्व	—	—
		इन्वैस्टमेंट	—	—
		सिविल / राजस्व	8	124
		योग	8	124
3.	01-04-2018 से 31-03-2019 तक	सिविल	4	8

	महालेखाकार द्वारा समायोजित किए गए ऑडिट पैरों की संख्या।	राजस्व	1	2
		इन्वैस्टमेंट	—	—
		सिविल / राजस्व	3	74
		योग	8	84
4.	31-03-2019 तक शेष ऑडिट पैरों की संख्या।	सिविल	28	29
		राजस्व	08	15
		इन्वैस्टमेंट	04	04
		सिविल / राजस्व	66	343
		योग..	106	391

आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित पैरों की दिनांक 31-03-2019 की स्थिति :

क्र०सं०	विवरण	रिपोर्ट की संख्या	पैरों की संख्या
1.	01-04-2018 तक बकाया ऑडिट पैरों की संख्या	18	108
2.	01-04-2018 से 31-03-2019 तक सम्मिलित पैरों की संख्या	—	—
3.	01-04-2018 सं० 31-03-2019 मे निदेशालय द्वारा समायोजित किए गए ऑडिट पैरों की संख्या।	—	04
4.	31-03-2019 तक शेष ऑडिट पैरों की संख्या	18	104

सी०ए०जी० / पी०ए०सी० के समायोजित पैरों का दिनांक 01.04.2018 से 31-03-2019 का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	लोक लेखा समिति के कार्रवाई प्रतिवेदन	कुल पैरे	समायोजित पैरे	बकाया पैरे
1.	132 वां कार्रवाई प्रतिवेदन	2	1	1
2.	68 मूल कार्रवाई प्रतिवेदन	2	—	2
3.	208 वां कार्रवाई प्रतिवेदन	3	—	3
4.	265 वां कार्रवाई प्रतिवेदन	4	1	3
5.	84 वां कार्रवाई प्रतिवेदन	2	—	2

6.	255 वां कार्रवाई प्रतिवेदन	3	—	3
7.	130वां प्रतिवेदन	6	2	4
8.	121 वां 86 वें मूल प्रतिवेदन	1	—	1
9.	81 वां मूल प्रतिवेदन	1	—	1
10.	62 वां कार्रवाई प्रतिवेदन	2	—	2
11.	8 वां प्रतिवेदन	5	—	5
12.	131 वां प्रतिवेदन	4	—	4
13.	184 वां प्रतिवेदन	2	—	2
14.	1996—97	4	—	4
15.	2005—06	8	—	8
	कुल पैरे शेष	49	4	45

## अध्याय-4

### बजट

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश की स्थापना के समय का योजित तथा गैर योजित स्कीमों का बजट ₹ 70.50 लाख था लेकिन जैसे-जैसे उद्यान विभाग की तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य की वृद्धि हुई उसी के अनुरूप बजट राशि में भी वृद्धि होती गई। विभाग के हर क्षेत्र में सामूहिक विकास हेतु विभागीय बजट को मुख्यतः चार खण्डों में विभाजित किया गया था लेकिन सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संस्थाओं में बजट उपलब्ध करवाना बन्द कर दिया है। इसलिये विभाग की तकनीकी गतिविधियों को केवल चार भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है:-

1. कृषि कार्य
2. शिक्षा एवं अनुसन्धान
3. विपणन एवं गुण नियन्त्रण
4. निगमों को ऋण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उद्यान विभाग को कुल ₹ 50544.44 लाख बजट राशि का आबंटन हुआ। शीर्ष सहित विवरण (लाख ₹ में) निम्न प्रकार से दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	विकास शीर्ष का नाम	सामान्य योजना	अनुसूचित जाति उप-योजना	जनजातीय उप-योजना	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. फसल कृषि कार्य :</b>						
	गैर योजना	14767.29	0	954.77	17.50	15739.56
	योजना	8912.08	0	3567.20	1233.50	13712.78
	योग..	<b>23679.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4521.97</b>	<b>1251.00</b>	<b>29452.34</b>
<b>2. शिक्षा एवं अनुसन्धान कार्य :</b>						
	गैर योजना	0	0	0	0	0
	योजना	7767.00	1940.00	693.00	0	10400.00
	योग..	7767.00	1940.00	693.00	0	10400.00

क्र.सं.	विकास शीर्ष का नाम	सामान्य योजना	अनुसूचित जाति उप-योजना	जनजातीय उप-योजना	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	कुल जोड़
3. <u>विपणन एवं गुण नियन्त्रण :</u>						
	गैर योजना	0	0	0	0	0
	योजना	905.00	346.00	123.00	275.00	1649.00
	योग..	905.00	346.00	123.00	275.00	1649.00
4. <u>केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम</u>						
	योजना	3929.00	1456.00	521.00	0	5906.00
	योग	3929.00	1456.00	521.00	0	5906.00
5. <u>विशेष केन्द्रीय सहायता</u>						
	योजना	0	108.00	104.00	0	212.00
	योग..	0	108.00	104.00	0	212.00
6. <u>मुख्य निर्माण कार्य</u>						
	योजना	470.00	74.00	18.00	70.00	632.00
	योग..	470.00	74.00	18.00	70.00	632.00
7. <u>पूँजीगत परिव्यय</u>						
	योजना	1293.10	0	0	0	1293.10
	गैर योजना	0	0	0	0	0
	योग..	1293.10	0	0	0	1293.10
8. <u>निगमों को ऋण</u>						
	गैर योजना	1000.00	0	0	0	1000.00
	योजना	0	0	0	0	0
	योग	1000.00	0	0	0	1000.00
	कुल योग	39043.47	3924.00	5980.97	1596.00	50544.44



आय:

शीर्ष 0401-119 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में विभाग के पास ₹147.02 लाख की आय का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के अन्तर्गत विभाग ने मु0 ₹241.13 लाख की आय अर्जित की, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आय के लक्ष्य (लाख ₹ में)	अर्जित आय (लाख ₹ में)
1.	फल विधायन केन्द्रों से आय 01	66.00	72.55
2.	वनस्पति उद्यानों से आय 02	10.00	9.72
3.	खुम्ब खाद से आय 07	25.00	24.69
4.	दवाईयों/उपकरणों की हैण्डलिंग चार्जिज से आय। 06	35.00	34.67
5.	मधु से आय 04	11.00	15.63
	योग:-	147.00	157.26
	अन्य साधनों से आय	0	0
1.	800-04 अधिक वसूलियों की प्राप्ति	0.01	3.72
2.	800-05 विविध आय से वसूली	0.01	80.15
	योग:-	0.02	83.87
	कुल योग:-	147.02	241.13

उद्यान विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो वसूली/प्राप्तियां हुईं, वह इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	विकास शीर्ष का नाम	सामान्य योजना	अनुसूचित जाति उप-योजना	जनजातीय उप-योजना	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	कुल जोड़
पूंजीगत परिव्यय शीर्ष सामग्री एवं सम्भरण से वसूलियां 4401-901-05						
	गैर योजना	1325.63	-	-	-	1325.63

	योजना	0.00	-	-	-	0.00
	योग..	1325.63	-	-	-	1325.63

## उद्यान विकास एवं प्रसार

यह उद्यान विभाग का मुख्य अनुभाग है तथा क्षेत्रीय स्तर पर उद्यान विकास से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों जिसमें फल उत्पादन, पुष्प उत्पादन, पौध संरक्षण तथा फसलोत्तर प्रबन्धन आदि सम्मिलित हैं, को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिये कार्यरत हैं।

इस अनुभाग की जिला, विकास खण्ड, उद्यान विकास वृत्त के स्तरों तक प्रशासनिक प्रणाली स्थापित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क. जिला स्तर:

जिला स्तर पर समस्त बागवानी विकास की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये प्रदेश के 12 जिलों में उप-निदेशक, उद्यान नियुक्त किए गए हैं। ये अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों के नियन्त्रण अधिकारी हैं तथा कार्यान्वित की जा रही उद्यान विकास योजनाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार जिला में कार्यरत विषय विशेषज्ञ उद्यान, उद्यान प्रसार कार्यो के प्रति जवाबदेह है। फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों/पौधशालाओं में पौध उत्पादन इत्यादि कार्यो की देख रेख के लिये भी वह उत्तरदायी हैं। साथ ही पौधशालाओं के निरीक्षण तथा पौध संरक्षण कार्यो के लिये भी जिम्मेवार हैं।

ख. विकास खण्ड स्तर:

विकास खण्ड स्तर पर बागवानी विकास कार्य विषय विशेषज्ञ उद्यान एवं उद्यान विकास अधिकारी द्वारा किए जा रहे हैं। विभिन्न विकास खण्डों में स्थित फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों एवं पौधशालाओं की देख-रेख हेतु एक उद्यान विकास अधिकारी या उद्यान प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

ग. उद्यान प्रसार सर्कल (वृत्त) स्तर:

ग्राम स्तर पर बागवानों को उद्यान प्रसार सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु उद्यान प्रसार वृत्त गठित किए गए हैं। एक वृत्त में 2 से 5 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। प्रत्येक वृत्त में एक उद्यान प्रसार अधिकारी कार्यरत है जो विभाग का मूल स्तर का कार्यकर्ता है।

उद्यान विभाग द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदन काल में प्राप्त उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. फल पौध रोपण तथा फल उत्पादन कार्यक्रम :

वर्ष के दौरान प्रदेश में कुल 19.44 लाख पौधों का रोपण किया गया। इस प्रकार बागवानी के अन्तर्गत वर्तमान में 230852 हैक्टेयर क्षेत्रफल है। फल पौधों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन का जिलावार विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष के दौरान फल पौधों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन का जिलावार विवरण

क्र०सं०	जिला का नाम	बागवानी क्षेत्रफल वर्ष 2017-18 (है० में)	फल उत्पादन वर्ष 2018-19 (मी० टन में)
1	2	3	4
1.	शिमला	47699	172141
2.	कुल्लू	30648	84602
3.	किन्नौर	12934	62312
4.	कांगड़ा	40571	41429
5.	मण्डी	37229	52861
6.	सिरमौर	15098	25433
7.	ऊना	6020	22237
8.	चम्बा	16974	13765
9.	सोलन	6077	10723
10.	हमीरपुर	7681	2976
11.	बिलासपुर	8150	6554
12.	लाहौल-स्पीति	1771	329
कुल योग..		230852	495362

वर्ष 2018-19 में वितरित किए गए फलदार पौधों का जिला-वार विवरण

क्र०सं०	जिले का नाम	वितरित पौधे (लाखों में)	फल पौधों के अन्तर्गत क्षेत्र (है० में)
1	2	3	4
1.	शिमला	4.83	1220.19

2.	किन्नौर	0.50	153.64
3.	मण्डी	1.99	667.51
4.	बिलासपुर	2.25	611.70
5.	सोलन	0.76	233.64
6.	कांगड़ा	1.61	653.67
7.	सिरमौर	1.93	566.94
8.	ऊना	0.55	201.29
9.	हमीरपुर	0.94	468.26
10.	चम्बा	0.74	208
11.	कुल्लू	3.18	802.98
12.	लाहौल-स्पीति	0.16	51.25
	कुल योग..	19.44	5839.07

## 2. फल उत्पादन:

प्रदेश में वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत 5.25 लाख मी० टन सामान्य फल उत्पादन का अनुमान था जिसकी तुलना में 4.95 लाख मी० टन फलों का उत्पादन हुआ जिसमें सेब का 3.686 लाख मी० टन, अन्य समशीतोष्ण फलों का 0.37 लाख मी० टन, शुष्क फलों का 0.04 लाख मी० टन, नीम्बू प्रजाति फलों का 0.29 लाख मी० टन तथा अन्य उपोष्ण-देशीय फलों का 0.57 लाख मी० टन उत्पादन हुआ जिसका जिलावार ब्यौरा ऊपर दर्शाया गया है।

### वर्ष 2018-19 के दौरान किस्मवार फल उत्पादन

क्र० सं०	फलदार पौधे की किस्म	फलोत्पादन (मी० टन में) 2018-19	क्र० सं०	फलदार पौधे की किस्म	फलोत्पादन (मी० टन में) 2018-19
1	2	3	1	2	3
1.	सेब	368603	19.	आम	43540
2.	प्लम	11389	20.	लीची	5467

3.	आडू	7292	21.	अमरूद	3012
4.	खुमानी	4635	22.	आंवला	2107
5.	नाशपाती	9099	23.	कटहल	439
6.	चैरी	225	24.	पपीता	1254
7.	कीवी	254	25.	अंगूर	131
8.	अनार	3215	26.	लोकाट	47
9.	जैतून	34	27.	करौंदा	7
10.	जापानी फल	877	28.	बेर	47
11.	स्ट्रॉबैरी	30	29.	चीकू	44
12.	बादाम सूखे एवं हरे बादाम	654	30.	अंजीर	11
13.	अखरोट	2872	31.	केला	249
14.	पीकान नट	136	32.	जामुन	251
15.	सन्तरा/किन्नु	14978	33.	बेल	26
16.	माल्टा/मौसम्मी	3227	34.	डेऊं	71
17.	कागजी नीम्बू	7490	35.	हेज़ल नट	—
18.	गलगल व अन्य	3649			
				कुल योग..	495362

### 3. फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान (PCDO) में फल पौधों का उत्पादन:

हिमाचल प्रदेश में बागवानी से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी जानकारी को प्रयोगात्मक विधियों द्वारा बागवानों तक पहुंचाने के लिये प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान स्थापित किए गए हैं ताकि इन प्रदर्शन उद्यानों में स्थानीय बागवान आधुनिक बागवानी सम्बन्धी तकनीक को स्वयं देख कर अपने बागीचों में भी अपना सकें। बागवानी विभाग के अन्तर्गत इस समय 94 फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान व पौधशालाएं हैं।

वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विभागीय पौधशालाओं में लगभग 6.44 लाख फलदार पौधों का उत्पादन हुआ। हिमाचल प्रदेश बहुत से समशीतोष्ण फलों के उत्पादन एवं आपूर्ति में सक्षम है लेकिन आम, नीम्बू प्रजाति व अन्य उपोष्णदेशीय फलों, शुष्क फलों जैसे कि अखरोट और पीकानट, इसके अतिरिक्त कीवी, चैरी, सेब की स्पर प्रजातियों के फल पौधों के उत्पादन में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, जिसके लिये प्रदेश में बहुत सी योजनाएं पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा फल पौध की अतिरिक्त मांग को डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौपी,

सोलन एवं चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर तथा प्रदेश व अन्य राज्यों की निजी पंजीकृत पौधशालाओं से मंगवाकर पूरा किया जाता है।

4. फलदार पौधों का शीर्ष कलमबन्दी तथा कांट-छांट:

वर्ष के दौरान विभागीय कर्मियों द्वारा कुल 0.47718 लाख विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधों की शीर्ष कलमबन्दी की गई तथा 0.34943 लाख विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधों की कांट-छांट प्रदर्शन के रूप में की गई।

5. उद्यान उद्योग में विविधता लाना:

बागवानी व्यवसाय में विविधता लाने के लिये बागवानी पर आधारित अन्य गतिविधियों जैसे हॉप्स, खुम्ब उत्पादन, मौन पालन तथा पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अलग से कार्यक्रम एवं विस्तार परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

6. ऋण सुविधायें:

प्रदेश के बागवानों को बागवानी व्यवसाय में सम्मिलित करने के लिये उद्यान विभाग द्वारा व्यवसायिक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे अपनी निजी भूमि पर बागीचे एवं अन्य सम्बन्धित व्यवसाय स्थापित कर सकें।

7. मौसम आधारित फसल बीमा योजना:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रायोगिक आधार पर रबी मौसम 2009-10 के दौरान सेब के लिए 6 ब्लॉक और आम के लिए 4 ब्लॉक में "मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)" शुरू की थी। किसानों से उत्साह जनक प्रतिक्रिया मिलने तथा इसके सफल कार्यान्वयन से इस योजना के तहत कवरेज साल दर साल बढ़ रही है। वर्तमान में इस योजना को सेब के लिए 36 ब्लॉक, आम के लिए 41 ब्लॉक, पलम के लिए 13 ब्लॉक, आड़ू के लिए 5 ब्लॉक और नीम्बू वर्गीय फल के लिए 15 ब्लॉक में पुनर्गठित-मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। ओलावृष्टि (Add-on/Index-plus) जैसे अतिरिक्त मौसमी कारकों को सेब उगाने वाले सभी जिलों में लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन बागवानों को सम्मिलित किया गया है जो पहले से ही रबी सीजन में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा करवा चुके थे।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 1,61,524 बागवानों ने बीमा करवाया तथा 70,104 बागवानों को ₹ 49.94 करोड़ की बीमा राशि का प्रभावित बागवानों को भुगतान किया गया। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 18.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

8. बागवानी प्रशिक्षण शिविर:

विभाग द्वारा प्रदेश के बागवानों को उद्यान सम्बन्धित आधुनिक तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। यह प्रशिक्षण शिविर पंचायत स्तर, खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण शिविरों में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं जैसे उद्यान विकास, उद्यान प्रबन्धन, फसलोत्तर कार्य, पुष्प उत्पादन, खुम्ब उत्पादन, मौन पालन,

पौध संरक्षण, जैविक खेती, पॉली हाउस में फल व पुष्प उत्पादन तथा फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण इत्यादि की तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। इन प्रशिक्षण शिविरों की अवधि प्रायः एक दिवसीय ही होती है। इन प्रशिक्षण शिविरों में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को भी बागवानों को आधुनिक जानकारी देने हेतु आमन्त्रित किया जाता है। बागवानी प्रशिक्षण शिविरों में बागवानों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश में बागवानी से सम्बन्धित विभिन्न कार्य जैसे फसलोत्तर कार्य, मौन पालन, पुष्पोत्पादन, खुम्ब उत्पादन तथा फल परिरक्षण में प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण शिविरों तथा राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय बागवानी संगोष्ठियों में 56,590 बागवानों को प्रशिक्षित किया गया है।

9. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 2009:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 2009 के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग के समस्त कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु 5 वर्ष की अवधि के दौरान में विभाग के प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष प्रशिक्षण योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसके अन्तर्गत बागीचों के प्रबन्धन, फूलों की खेती, खुम्ब उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फल परिरक्षण इत्यादि में रिफरेशर कोर्स का औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किये जाते हैं। गैर तकनीकी (मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ) कर्मचारियों को कम्प्यूटर, सूचना तकनीक, वित्तीय प्रशासन व कार्यालय के संचालन से सम्बन्धित नियमों की गहन जानकारी हेतु हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) फेयर लॉन्ज, मशोबरा, शिमला-12 में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। तकनीकी कर्मचारियों को विभिन्न विषयों में राज्य कृषि प्रशिक्षण संस्थान, समिति (SAMETI) मशोबरा, शिमला-12 में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण नीति के अनुसार विभाग में प्रवेश/भर्ती होने वाले नए तकनीकी कर्मचारियों को विभाग की गतिविधियों व नियमों की जानकारी हेतु अभिविन्यास पाठ्यक्रम (Orientation Course) का आयोजन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग के तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों को दूसरे राज्यों के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों द्वारा बागवानी से सम्बन्धित विषयों पर आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में विभाग के अधिकारियों को प्रायोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुल 150 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा 50 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य के भीतर तथा 29 राज्य के बाहर प्रायोजित प्रशिक्षणों के तहत विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया। राज्य प्रशिक्षण नीति 2009 के अन्तर्गत प्रशिक्षण मद्द में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल मु0 4,24,450 रुपये की धन राशि व्यय की गई।

10. बीज विकास पर नई नीति 1988 के अंतर्गत प्रावधान :-

किसानों को दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम पौध रोपण सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बीज विकास पर नई बीज नीति 1988 लाई गई ताकि बागवानों की कृषि आय, आयात-निर्यात एवं उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की जा सके।



जो भी इच्छुक किसान/बागवान/व्यक्ति/आवेदनकर्ता पौध सामग्री/बीज आयात करना चाहता हो उसे बागवानी विभाग द्वारा "बीज आयातकर्ता प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है, जिसके लिए आवेदनकर्ताओं से निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करवाई जाती हैं।

1. निर्धारित आवेदन पत्र का पूर्ण रूप से भरा जाना।
2. भूमि के कब्जे का राजस्व रिकार्ड (ततीमा/जमाबन्दी/यदि ज़मीन पट्टे पर हो तो न्यूनतम 10 वर्षों के लिए पट्टा इकरारनामा)।
3. बिल (Proforma Invoice) की प्रति/पौध सामग्री का [आरक्षण/नर्सरी](#) से पुष्टिकरण पत्र जहां से किसान/बागवान अथवा आवेदनकर्ता पौध/बीज आयात करने में रुचि रखता हो।
4. शेष औपचारिकताएं आवेदनकर्ता द्वारा भारत सरकार के स्तर पर पूर्ण की जाती हैं।

11. हिमाचल प्रदेश फल पौध एवं पेड़ों के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड :-

यदि किसान एवं बागवानों की जमीन सरकार/निजी उपक्रम द्वारा ली जाती है उस स्थिति में विभाग द्वारा यदि ज़मीन पर फल पौधे हों, का मूल्यांकन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है।

12. हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एण्ड लैंड रिफॉर्म्स अधिनियम, 1972 के सैक्शन 118 के अन्तर्गत प्रावधान:-

यदि बाहरी प्रदेश का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में उद्यान विभाग से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि क्रय/पट्टे पर लेना चाहता हो तो आवेदनकर्ता को विभाग द्वारा "आवश्यक/अनिवार्य प्रमाण पत्र निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करने पर प्रदान किया जाता है।

1. प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट
2. जमाबंदी एवं ततीमा की प्रतिलिपि
3. विभिन्न विभागों जिस में वन विभाग, बिजली विभाग, जलागम विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया अनापति प्रमाण पत्र।
4. ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया अनापति प्रमाण पत्र
5. लोकेशन/साईट प्लान/नक्शा
6. मौके का निरीक्षण सम्बन्धित समक्ष प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट (राजस्व अधिकारी के मौजूदगी में)

13. मुख्यमंत्री मधु विकास योजना

मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का कार्यान्वयन प्रदेश में फसलों के गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, शहद तथा संबंधित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण व शहरी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके साथ-साथ प्रदेश में वनस्पति

एवं जीव-जंतुओं सहित पारिस्थितकीय सन्तुलन बनाए रखने आदि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह राज्य स्कीम आरंभ की गई है। वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत 217.35472 लाख रू० की धनराशि उपदान के रूप में किसानों एवं बागवानों में आबंटित कर दी गई है।

क्र. सं.	मद	इकाई	भौतिक उपलब्धि न.	वित्तीय उपलब्धि (लाख ₹ में)
1.	मौन वंशों का विभागीय/ निजी मौन पालकों से किसानों व बागवानों को वितरण	संख्या	41	61.32
2.	कैल, चीड़, आम और अन्य लकड़ी के भारतीय मानक ब्यूरो मान्यता प्राप्त मौन गृहों का वितरण	संख्या	41	53.32
3.	मौन पालन सामग्री/ उपकरणों का वितरण	संख्या	38	8.64
4.	प्रत्येक जिला में 300 मौन वंश वाले मौन पालक का चयन करना	संख्या	2	6
5.	प्रवास परिवहन उपदान 5000 रू. प्रति ट्रिप	संख्या	50	5.6
6.	स्थानीय मधुमक्खी एपिस सेराना को दीवार मौन गृह या लकड़ी के मौन गृह में पालन के लिए प्रोत्साहन	संख्या	407	27.59
7.	नये मौन पालकों को पाँच दिन का प्रतिवर्ष प्रशिक्षण	संख्या	35	24.58
8.	व्यवसायक मौन पालकों को प्रदेश के अन्दर मौन पालन केन्द्रों पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण	संख्या	4	5.44
9.	देशीय प्रख्यात संस्थानों में 3-5 दिवसीय ज्ञानात्मक भ्रमण	संख्या	0	0
10.	निजी क्षेत्र शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	संख्या	0	0
11.	प्रति दो बिघा भूमि में मधुमक्खी वनस्पति (बी-फ्लोरा) रोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहन	संख्या	700	24.57
12.	मौन पालकों को वितरण के लिए साहित्य, पत्रिकाएं, डाकुमेंटरी, बुलेटिन आदि प्रकाशन तैयार करना	संख्या	1	0.29472

योग			217.35472
-----	--	--	-----------

#### 14. हिमाचल पुष्प क्रांति योजना

हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना विशेष रूप से प्रदेश में व्यवसायिक पुष्प खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की पहल पर आरम्भ की गई है, जिसे राज्य बजट से चलाया जा रहा है। इस योजना में किसानों/बागवानों की इस क्षेत्र में पहले से चल रही लम्बित मांगों को पूरा करने के बारे विशेष ध्यान दिया गया है। यह स्कीम हि0प्र0 को व्यवसायिक फूलों और सजावटी पौध फसलों के उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाएगी। इससे आने वाले समय में प्रदेश सजावटी फसलों की बागवानी में सतत विकास करेगा। साथ ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभकारी रोजगार के कुशल और अकुशल युवाओं को अवसर उपलब्ध होंगे जिससे प्रदेश पुष्प राज्य के रूप में उभरेगा।

क्र. सं.	मद	इकाई	भौतिक उपलब्धि न.	वित्तीय उपलब्धि (लाख ₹ में)
1.	संरक्षित खेती हरित गृह निर्माण			
अ.	पंखा और पैड प्रणाली	वर्ग मी.	4250	63.09
ब.	प्राकृतिक रूप से हवादार	वर्ग मी.		
i)	नलिकाओं (जी.आई.पाईप से निर्माण)	वर्ग मी.	47134	446.18
2.	छायादार जाली गृह			
i)	नलिकाओं (जी.आई.पाईप से निर्माण)	वर्ग मी.	2088	8.52
3.	बड़ी सुरंग (वॉकइन टनल)	वर्ग मी.	0	0
4.	छायादार जाली गृह/हरित गृह में कारनेशन और जरबेरा पौध सामग्री का मूल्य	वर्ग मी.	56978	184.46
5.	छायादार जाली गृह/हरित गृह में गुलाब और लीलीयम पौध सामग्री का मूल्य	वर्ग मी.	13881	31.70

	योग			733.95
--	-----	--	--	--------

#### 15. मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना

पॉली हाउस खेती को किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। यह एक तो इस कृषि तकनीक के लाभकारी परिणाम और दूसरे विभागीय कार्यक्रमों तथा सकीमों में उपलब्ध उपदान सहायता के कारण सम्भव हुआ है। इस कृषि तकनीकी में एक बड़ी कठिनाई यह भी रहती है कि पॉली हाउस बनाना बड़े खर्च का काम है और प्रत्येक लघु एवं सीमान्त किसान के लिए यह आसान नहीं है। दूसरी कठिनाई यह रहती है कि इन संरचनाओं को आंधी तूफान और तेज हवाओं से अधिक वर्षा से भूमि खिसकने आदि से क्षति होती ही रहती है। इनको बनाने के लिए तो उपदान सहायता उपलब्ध होने के कारण किसान जैसे तैसे कर लेता है परन्तु जब बना बनाया ढांचा फसल समेत क्षति ग्रस्त या नष्ट हो जाता है तो बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है।

इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने यह स्कीम आरम्भ की है कि ऐसे किसानों को जिनके पॉली हाउस की पॉलीशीट फट जाए अथवा क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे बदलने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि जो रोजगार संकट में आ गया था पुनः सामान्य हो सके। इस स्कीम में पहले (2017-18) में 50% अधिकतम उपदान सहायता प्रदान की गई थी जो कि 32 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर पर पाँच वर्ष पुराने पॉली हाउस के लिए दी जाती थी।

वर्ष 2018-19 में 28.89 लाख रु० खर्च करके 64489.50 वर्ग मीटर क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया।

#### 16. ओला अवरोधक जाली स्थापना योजना

हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसके कारण किसानों की बागवानी फसलों मुख्यतः सब और सब्जियों की गुणवत्ता और उत्पादकता को भारी नुकसान पहुंचता है।

कृषक बागवानों को ओलावृष्टि से होने वाली आर्थिक क्षति से बचाव हेतु प्रदेश में ओला अवरोधक जालियां पर को 80% उपदान कर प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 में 1041.49 लाख रु० की धनराशि खर्च करके 37,19,614 वर्ग मीटर क्षेत्र में ओला अवरोधक जालियों के अन्तर्गत लाया गया है।

#### राज्य स्तरीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सुविधा एवं सहायतायें

बागवानों/कृषकों को उन्नत तकनीक तथा वैज्ञानिक ढंग से औद्योगिकी को अपनाने हेतु उद्यान विभाग द्वारा उन्हें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सुविधायें एवं सहायतायें प्रदान की जा रही हैं। राज्य स्तरीय योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

(क) उद्यान उपकरणों पर अनुदान:

25 प्रतिशत लघु किसान, 33 प्रतिशत सीमान्त किसान तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा क्षेत्र किसान।

(ख) नाशीकीटमार दवाईयों पर अनुदान:

50 प्रतिशत लघु किसान व सीमान्त किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा क्षेत्र किसान, 30 प्रतिशत बड़े किसान।

(ग) खुम्ब उत्पादन के लिये खुम्ब कम्पोस्ट पर अनुदान:

25 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹20 प्रति ट्रे लघु एवं सीमान्त किसान, बेरोज़गार स्नातक तथा ₹40 प्रति ट्रे अनुसूचित जाति, जनजाति/आई आरडीपी किसान इसके अतिरिक्त किसानों को उनके घर द्वार के निकट सड़क तक कम्पोस्ट खाद ले जाने हेतु परिवहन पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(घ) परिवहन व्यय:

विभागीय उद्यान प्रसार तथा पौध संरक्षण केन्द्रों तक उद्यान उपकरण एवं दवाईयां पहुंचाने हेतु मुफ्त परिवहन का प्रावधान

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(1) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) :

प्रदेश में समन्वयक बागवानी विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से समन्वयक बागवानी विकास के दृष्टिगत उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयायी राज्यों हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन (उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयन राज्यों हेतु बागवानी मिशन) कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिकी सतत् विकास से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों, जिसमें फल उत्पादन, पुष्प उत्पादन, खुम्ब उत्पादन, पौध संरक्षण, फसलोत्तर प्रबन्धन आदि सम्मिलित हैं, को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिये यह मिशन प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस मिशन के अन्तर्गत प्रदेश मुख्यालय, जिला, विकास खण्ड, उद्यान विकास वृत्त के स्तरों तक प्रशासनिक ढाँचा स्थापित हैं।

प्रदेश में उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयायी राज्यों के लिये बागवानी मिशन सैल बनाया गया है, जिसका नियन्त्रण परियोजना निदेशक (एम.आई.डी.एच.) के अधीन है। इनके सहयोग के लिये दो विषय विशेषज्ञ (बागवानी मिशन) निदेशालय में कार्यरत हैं।

मिशन के अन्तर्गत बागवानी विकास हेतु किसानों/बागवानों तथा उद्यमियों के लिये अनेक सहायताएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि बागवानों की आर्थिक समृद्धि हो सके। वर्ष 2018-19 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत कुल स्वीकृत वार्षिक योजना ₹30.55 करोड़ में से 26.389 करोड़ की धन राशि केन्द्र से प्राप्त हुई है।

इस कार्यक्रम के विभिन्न मदों के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	घटक का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (लाख ₹में)
1	2	3	4
1.	क्षेत्र विस्तार (है०)		
	क. फल	372.69 है०	62.36
	ख. सब्जी/मसाले		
	(i) सब्जियों के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र है०	94.33 है०	23.45
	(ii) मसाले के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र है०	61.45 है०	9.22
	ग. फूल		
	फूलों के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र (0.2 है० इकाई)	18.98 है०	9.25
	घ. हरित गृह में उगाई गई सब्जी/फूलों का क्षेत्र विस्तार	36340 वर्ग मी.	69.86

क्र.सं.	घटक का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (लाख ₹ में)
	ड खुम्ब इकाई	4 ई0	32.00
2.	जल स्रोतों का सृजन		
	पानी संग्रहण टैंक/टयूबवैल/बोर वैल	43.00 सं0	42.30
3.	संरक्षित खेती		
	क. हरित गृह की स्थापना	21901 वर्ग मी0	134.04
	ख. ओला अवरोधक जाली	193953 वर्ग मी0	60.32
	ग. शेड नैट	1500 वर्ग मी0	6.12
4.	मानव संसाधन विकास		
	क. राज्य से बाहर प्रशिक्षण (किसान संख्या)	70 सं0	17.00
5.	जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहन		
	क. वर्मी कम्पोस्ट इकाई	.....	....
6.	कृषि उपकरण		
	क. शक्ति चालित (below 8 BHP)	....	....
	ख. पौध संरक्षण उपकरण	594	53.67
7.	मौन पालन विकास		
	मौन वंश एवं मौन गृह	....	....
8.	पैकिंग ग्रेडिंग इकाईयां	23 सं0	46.00
9.	शीत भण्डारण इकाईयां	3 सं0	50.00
10.	फल विधायन इकाईयां	4 सं0	289.00

(2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :

प्रदेश में अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है। उद्यान विभाग, हि0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में बागवानी विकास की परियोजनाओं हेतु कुल 350.00 लाख रू0 की धन राशि प्राप्त की गई है। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूती देना, जोखिम कम करके और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है।

2. राज्यों के किसानों के प्रयासों को मजबूत करने हेतु आवश्यक फसल पूर्व एवं फसलोत्तर कृषि-बुनियादी ढांचा निर्माण जो गुणवत्तायुक्त सामग्री (क्वालिटी इनपुट), भण्डारण, बाजार सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाता है।

3. यह सुनिश्चित करना कि जिलों एवं राज्य से संबंधित कृषि योजना को तैयार करने की प्रक्रिया कृषि जलवायु परिस्थितियों एवं प्राकृतिक स्रोतों एवं तकनीक की उपलब्धता पर आधारित हो।

इस योजना का कार्यान्वयन 3 स्ट्रीमों के अन्तर्गत किया जा रहा है:

क. आधारभूत संरचना एवं सम्पत्ति स्ट्रीम: इस स्ट्रीम में बागवानी विकास की वे गतिविधियां सम्मिलित की गई है जो राज्य/केन्द्रीय परियोजनाओं में निहित नहीं हैं तथा पहली बार प्रारम्भ की गई है। इस स्ट्रीम के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं:-

- बगवानी यंत्रिकरण हेतु राज्य के 11 जिलों में 196 यन्त्रचालित नैपसैक स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर), 1500 न0 हस्ताचालित बागवानी यंत्र आबंटित यंत्र किये गए हैं।
- निजी क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु 99 वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गई।
- खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र में 80 लघु खुम्ब गृहा तथा 5 उत्पादन इकाईयों की स्थापना की गई।
- निजी क्षेत्र में 50 घन मी0 क्षमता के जल भण्डारण 9650 घन मी0 की गई।
- विभागीय जैव नियंत्रण प्रयोगशाला रझाणा, शिमला को मजबूत बनाने हेतु उपकरण और प्रयोगशाला सामग्री, डिजिटलीकरण हेतु प्रशिक्षण और कार्यालय सामान दिया गया है।

ख. मूल्यवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाएं: इस स्ट्रीम में बागवानी विकास की वे गतिविधियां सम्मिलित की गई है जो बागवानों को सुनिश्चित/अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं जिसमें निजी व सरकारी क्षेत्र की एकीकृत कृषि विकास योजनाएं सम्मिलित हैं।

ग. फलैक्सी फंडज:- इस स्ट्रीम में राज्य उपलब्ध राशि को स्थानीय आवश्यकताओं या अधिमानता वाले कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में अभिनव गतिविधियों पर आधारित प्रस्ताव सहायता हेतु उपयोग कर सकता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कुल 2033 किसानों को लाभान्वित किया गया।

### (3) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बून्द, अधिक उत्पादन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य उद्देश्य खेतों तक जल पहुंचाना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबन्धन, जलाशय पुनर्भरण, सतत् जल संरक्षण प्रणाली प्रचलनों के साथ-साथ भूमि जल सृजन, पानी के बहाव को रोक कर उपयोग में लाना तथा जल उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन एवं आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एवं स्पिंकलर कार्यक्रम को लागू करना है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न स्तर पर जल निकाय सृजन, नदियों में लिफ्ट सिंचाई योजना, जल वितरण नेटवर्क तथा उपलब्ध जल स्रोतों की मुरम्मत, पुनर्भण्डारण तथा सृजन का कार्य मुख्य रूप से किया जाना है।

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बून्द, अधिक फसल उत्पादन मद् के अन्तर्गत किसानों एवं बागवानों को विभिन्न प्रकार की सहायतायें एवं सुविधायें प्रदान कर रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लघु एवं सीमान्त किसानों/बागवानों



को 80 प्रतिशत अनुदान (55 प्रतिशत भारत सरकार + 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार) अधिकतम 2.0 हैक्टेयर प्रति बागवान तथा बड़े किसानों/बागवानों को 45 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5.0 हैक्टेयर प्रति बागवान का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – प्रति बून्द, अधिक उत्पादन के अन्तर्गत 298 किसानों/बागवानों को 161.42 लाख रु0 खर्च कर लाभान्वित किया गया। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न सहायताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल लागत प्रति हैक्टेयर/ प्रशिक्षण (रु0)
1.	ड्रिप सिंचाई (अधिक दूरी वाली फसलें) 12x12 मी0 10x10 मी0 9x9 मी0 8x8 मी0 6x6 मी0 5x5 मी0 4x4 मी0 3x3 मी0 2.5x2.5 मी0 2x2 मी0 1.5x1.5 मी0 2.5x0.6 मी0 1.8x0.6 मी0 1.2x0.6 मी0	27,158 28,920 30,486 31,809 40,360 45,339 47,365 58,655 77,990 94,259 1,08,205 91,160 1,13,788 1,58,489
2.	सूक्ष्म स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली 5x5 मी0 3x3 मी0	73,665 84,026.25
3.	मिनी स्थानान्तरित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली 10x10 मी0 8x8 मी0	1,06,515 1,17,535
4.	स्थानान्तरित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली 63 mm dia pipe 75 mm dai pipe	24,427.5 27,376.25
5.	मध्यस्तरीय स्थाई स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली	45,758.75
6.	उच्चस्तरीय स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (Rain Gun) 63 mm dia 75 mm dia	35,857.25 43,141.25
7.	प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.) किसानों को प्रशिक्षण	

	क) राज्य के अन्दर ख) राज्य के बाहर	1000 रु0 प्रति दिन (परिवहन सहित) परियोजना आधारित
	2.) किसानों को प्रभावन दौरा क) राज्य से बाहर ख) भारत से बाहर	परियोजना आधारित 4 लाख रु0 प्रतिभागी
	3.) तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम क) राज्य के अन्दर	300 रु0 प्रतिभागी + यात्रा एवं दैनिक भत्ता स्वीकार्य
	ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगतिशील राज्य इकाई ( कम से कम 5 प्रतिभागियों का समूह) ग) भारत से बाहर	800 रु0 प्रतिभागी + यात्रा एवं दैनिक भत्ता स्वीकार्य 4 लाख रु0 प्रतिभागी
8.	प्रशासनिक योजना लागत (कृषि एवं बागवानी फसलों)	

#### सूक्ष्म सिंचाई योजना के लाभ

- पैदावार एवं उत्पादकता में बढ़ौतरी।
- फसल गुणवत्ता में सुधार एवं फसल जल्दी पकने का सुनिश्चितिकरण।
- 40-70 प्रतिशत तक जल की बचत।
- सिंचाई के साथ-साथ घुलनशील एवं तरल खादों तथा पौध संरक्षण के लिए रसायनिक दवाइयों इत्यादि का निपुणता के साथ जड़ क्षेत्र में संचारण संभव होता है।
- खरपतवार पर नियंत्रण, 30 प्रतिशत तक खाद की बचत और 10 प्रतिशत मज़दूरी की लागत में बचत होती है।
- बीमारियों पर नियन्त्रण।
- असमतलीय जमीन के लिए उपयोगी।
- भू-संरक्षण का विलोपन।
- उच्च जल प्रयोग क्षमता।
- लवणीय पानी का प्रयोग भी संभव है।

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी उद्यान प्रसार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/विषय विशेषज्ञ उद्यान/उप-निदेशक उद्यान से सम्पर्क करें।

## फल पौध पोषण

फल पौधों से अधिक एवम् उतम् गुणवत्ता की पैदावार प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि फल पौधों को आवश्यक तत्त्व उचित व संतुलित मात्रा में उपलब्ध करवाये जाएं। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1974 से प्रदेश के बागवानों को फल बागीचों में आवश्यक तत्वों की स्थिति जानने तथा उनके आधार पर उर्वरकों की उचित एवं सन्तुलित मात्रा निर्धारित करने हेतु "निःशुल्क फल पौध पोषण परामर्श सेवा" आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उगाये जाने वाले फल पौधों से पत्तियों के नमूने एकत्रित कर उनका रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर बागवानों के फल बागीचों में पोषक तत्वों की स्थिति का अध्ययन कर बागीचों के लिये उर्वरकों की संतुलित मात्रा का निर्धारण किया जाता है व इसकी जानकारी सम्बन्धित बागवानों को लिखित रूप में डाक द्वारा या उद्यान विकास अधिकारी के माध्यम से भेजी जाती है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:-

1. उन क्षेत्रों में जहां बागीचे अधिक सघन हैं पत्ती विश्लेषण विधि द्वारा फल पौधों में पोषक तत्वों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना।
2. पत्तियों के नमूनों के विश्लेषण के आधार पर बागीचों में फल पौधों के लिये उर्वरकों की उचित मात्रा का निर्धारण करना व इसकी जानकारी सम्बन्धित बागवानों को देना।
3. हिमाचल प्रदेश के बागवानों को फल पौध पोषण से सम्बन्धित निःशुल्क परामर्श सेवा प्रदान करवाना।
4. प्रदेश में ऐसी नई फल पौध पोषण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना जिनमें बागवानों को पत्ती विश्लेषण की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों।

वार्षिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां:-

1. फल पौध पोषण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवम् सुदृढीकरण:-

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में इस समय 6 फल पौध पोषण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं जोकि जिला शिमला में नवबहार (उद्यान निदेशालय), कोटखाई व थानाधार, जिला कांगड़ा में धर्मशाला, जिला कुल्लू में बजौरा तथा जिला ऊना में सलोह में स्थित हैं। इस के अतिरिक्त प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु दो ड्राईंग ग्राइंडिंग इकाईयों की स्थापना की गई है जोकि जिला किन्नौर के रिकांगपीओ तथा जिला चम्बा के भरमौर में स्थित हैं। इन प्रयोगशालाओं की कुल क्षमता 30,000

पत्तियों के नमूनों को विश्लेषण करने की है। गत वर्ष के दौरान प्रदेश में स्थापित प्रयोगशालाओं की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु नये उपकरणों व यन्त्रों की खरीद की गई जिनका प्रयोग वर्तमान में नमूनों की रासायनिक विश्लेषण के लिये किया जा रहा है।

## 2. विश्लेषण हेतु पत्तियों के नमूनों का एकत्रीकरण :-

इस योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रयोगशालाओं की कुल क्षमता 30,000 पत्तियों के नमूनों को तैयार कर विश्लेषण करने की है वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 18,950 पत्तियों के नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य निदेशालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत पत्तियों के नमूनों के एकत्रीकरण का कार्य जिलों में कार्यरत उद्यान विकास अधिकारियों एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में कार्यरत उप निदेशक उद्यान द्वारा करवाया जाता है। वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल 19,189 नमूने प्राप्त हुये। विभिन्न जिलों से विश्लेषण हेतु प्राप्त नमूनों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र० सं०	जिले का नाम	विश्लेषण हेतु पत्तियों के नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य	प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु प्राप्त पत्तियों के नमूनों की संख्या
1.	शिमला	4400	4464
2.	सोलन	1600	1673
3.	सिरमौर	2000	1990
4.	किन्नौर	740	743
5.	बिलासपुर	1200	1200
6.	कांगड़ा	2100	1924
7.	हमीरपुर	1000	1000
8.	ऊना	1000	1011
9.	चम्बा	900	968
10.	मण्डी	1550	1750
11.	कुल्लू	2000	2005
12.	लाहुल स्पिति	460	461
	कुल जोड :-	18,950	19,189

## 3. पत्ती विश्लेषण सेवा:

विभिन्न प्रयोगशालाओं में वर्ष 2018-19 के दौरान विधायन एवं विश्लेषण किये गये पत्तियों के नमूनों तथा लाभान्वित बागवानों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र० सं०	प्रयोगशाला/ड्राईंग ग्राईडिंग इकाई का नाम	जिले/क्षेत्र का नाम	पत्तियों के नमूने प्राप्त हुये	पत्तियों के नमूने विश्लेषण किये	लाभान्वित बागवानों की संख्या
1.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, शिमला	शिमला	527	527	202
		सोलन	1673	1673	680
		सिरमौर	1990	1990	924
		बिलासपुर	1200	1200	583
2.	ड्राईंग ग्राईडिंग इकाई रिकांग पिओ	किन्नौर	743	743*	700
3.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, धर्मशाला	कांगड़ा	1924	1746	1363
		हमीरपुर	1000	1000	691
		चम्बा	537	537	349
4.	ड्राईंग ग्राईडिंग इकाई भरमौर	पांगी	150	150**	94
		भरमौर	281	281**	275
5.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, कोटखाई	शिमला	2816	2816	1517
6.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, बजौरा कुल्लू	कुल्लू	1200	1200	294
		मण्डी	1750	1750	903
		लाहुल	361	361	255
		स्पिति			
7.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, थानाधार शिमला	शिमला	1121	1121	719
		कुल्लू	805	805	805
		स्पिति	100	100	100
8.	फल पौध पोषण प्रयोगशाला, सलोह, जिला ऊना	ऊना	1011	1011	366

		कुल जोड़	19189	19011	10820
--	--	----------	-------	-------	-------

\*नमूनों का विश्लेषण कार्य फल पौध पोषण प्रयोगशाला शिमला, नव-बहार में किया गया।

\*\*नमूनों का विश्लेषण कार्य फल पौध पोषण प्रयोगशाला धर्मशाला, जिला कांगड़ा में किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 18950 पत्तियों के नमूने एकत्रित एवं विश्लेषण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 19189 नमूने प्राप्त हुए तथा 19011 नमूनों का विश्लेषण किया गया। वर्ष के दौरान कुल 10820 बागवानों को इस सेवा का लाभ पहुंचाया गया।

उद्यान विपणन

प्रदेश के बागवानों को देश की विभिन्न मण्डियों में उनकी फल उपज के अच्छे दाम दिलाने हेतु उद्यान विभाग का प्रयास रहता है जिससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उद्यान विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उत्पादित किए जा रहे फलों के उत्पादन एवं विपणन लागत सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करवाना, विपणन में बागवानों के गुणवत्तायुक्त फलों को नियमित रूप से मण्डियों में अच्छे दाम दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न फलों हेतु पैकेजिंग का प्रबन्ध करना, भाव हेतु मण्डी सर्वेक्षण योजना, मण्डी विपणी योजना को कार्यान्वित करवाना तथा सेब विपणन काल के दौरान नियन्त्रण कक्षों की स्थापना करना विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश सरकार मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत विभिन्न निगमों के माध्यम से व्यवसायिक स्तर पर उगाए जा रहे आम, सेब, किन्नु, माल्टा, सन्तरा एवं गलगल के विपणन अधिशेष का प्रापण किया जा रहा है।

1. मण्डी विपणी सेवा.—देश की प्रमुख सीमान्त मण्डियों में इस अवधि में कुल 40 मण्डियों से “ए” क्वालिटी “मिडियम ग्रेड” फलों के, जिनमें से 04 मण्डियां गुठली वाले फल, 03 मण्डियां नाशपाती फल, 08 मण्डियां आम फल, 15 मण्डियां सेब फल तथा 10 मण्डियां नीम्बू प्रजातीय फलों की मण्डियां सम्मिलित हैं, से मॉडल थोक भाव एवं आगत सम्बन्धी आंकड़े मुख्य विपणन काल में एकत्रित किये गये (अनुबन्ध-1)। उक्त भाव एवं आगत सम्बन्धी सूचना संकलित करके प्रदेश के बागवानों एवं अन्य विपणन संस्थाओं के सूचनार्थ, मुख्य विपणनकाल में आकाशवाणी शिमला-171004 के माध्यम से प्रादेशिक समाचारों से पहले प्रसारित करवाई की गई ताकि फल व्यापार से जुड़े बागवान एवं संस्थायें, मण्डी प्रवृत्तियों का अध्ययन करके फलों के लाभकारी विपणन हेतु फलों को उचित मण्डियों में भेजकर अच्छी कीमतें प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित मण्डियों एवं शहरों से भी मण्डी विपणी सूचना एकत्रित करने हेतु पग उठाये गये हैं।
2. तुड़ाई, वर्गीकरण एवं भराई योजना.—इस योजना के अन्तर्गत, फलों को उत्पादकों द्वारा विभिन्न बक्सों/टोकरियों इत्यादि में भरकर उपयुक्त मण्डियों में भेजने के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इन गतिविधियों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुल 19,171 बागवानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
3. उत्पादन एवं विपणन लागत.—फलों के मुख्य विपणनकाल में विभिन्न फलों की उत्पादन लागत एवं विपणन लागत से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने हेतु पग उठाये गये ताकि इन आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे कि मण्डी मध्यस्थता योजना, उत्पादन, फसल बीमा, पैकिंग सामग्री, तुड़ाई, वर्गीकरण, भराई, परिवहन दरें इत्यादि सम्मिलित हैं, के निर्धारण हेतु उपयोग में लाया जा सके।
4. नियन्त्रण कक्षों की स्थापना.—प्रदेश के विभिन्न सेब उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न सीमान्त मण्डियों तक सेब की ढुलाई का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु एवं बागवानों को उनकी मांग के अनुसार दूर-दराज़ के क्षेत्रों में ट्रक उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2018-19 में जिला शिमला में फागू के

समीप भेखलटी नामक स्थान पर सेब नियन्त्रण कक्ष एवं जिला किन्नौर में चौरा नामक स्थान पर उप नियन्त्रण कक्ष खोला गया।

5. फलों की पैकिंग हेतु पैकेजिंग का प्रबन्ध कार्टन उपदान योजना.—वर्ष 2018-19 में योजना के अन्तर्गत कार्टन प्रापण संस्थाओं नामतः एच.पी.एम.सी., हिमफैड, हिमप्रोसैस एवं किनफैड (केवल जिला किन्नौर हेतु) द्वारा प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित निजी कार्टन निर्माताओं द्वारा कार्टनों का क्रय करके प्रदेश के बागवानों को आपूर्ति किये गये कार्टनों का ब्यौरा इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आपूर्ति किये गये कार्टनों की संख्या		
		टैलीस्कोपिक कार्टन	युनिवर्सल कार्टन	10 कि. ग्रा. क्षमता
1.	एच.पी.एम.सी.	3,62,023	----	32,549
2.	हिमफैड	28,719	----	----
3.	किनफैड	61,770	----	12,280
4.	हिमप्रोसैस	----	----	----
कुल योग ..		4,52,512	----	44,829

6. मण्डी मध्यस्थता योजना :-

- (1) आम का प्रापण.—प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आम फल के प्रापण हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत प्रापण दरों का ब्यौरा इस प्रकार से है:-

फल की किस्म	ग्रेड विवरण	प्रापण दर (प्रति कि.ग्रा. रुपयों में)
बीजू प्रजातियां	विधायन योग्य (पके फल)	6.00
कलमी प्रजातियां	विधायन योग्य (पके फल)	7.00
आचारी आम	विधायन योग्य	6.00

आम फल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में कुल 34 फल एकत्रीकरण केन्द्र खोले गये जिनमें से 13 केन्द्रों पर एच.पी.एम.सी. द्वारा और 21 पर हिमफैड द्वारा प्रापण कार्य किया गया। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 0.14140 लाख रुपये मूल्य का 2.020 मिट्रिक टन आम का प्रापण हुआ। उक्त योजना दिनांक 16.07.2018 से 15.08.2019 तक लागू की गई।

- (2) सेब प्रापण.—प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में "सी" ग्रेड सेब फलों के प्रापण हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना लागू की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत 7.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. की प्रापण दर से सेब उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में कुल 279 फल एकत्रीकरण केन्द्र खोले गये जिनमें से 162 केन्द्रों पर एच.पी.एम.सी. द्वारा एवं 117 केन्द्रों पर हिमफैड द्वारा प्रापण कार्य किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 2035.43 लाख रुपये मूल्य का 27139.14 मीट्रिक टन सेब का प्रापण हुआ यह योजना 20.07.2018 से 31.10.2018 तक लागू की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान लाहौल स्पिति जिले में आसमयिक बर्फबारी के कारण सभी वर्ग के सेब फलों का प्रापण किया गया जिसके लिए 20 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर निर्धारित की गई इस योजना के अन्तर्गत जिले में 22.148 लाख रुपये मूल्य का 110.740



मिट्टिक टन सेब फलों का प्रापण हुआ। यह योजना 01.11.2018 से 15.11.2018 तक लागू की गई।

दैनिक रिपोर्ट:-

सेब मण्डी मध्यस्थता योजना के लागू होने के दौरान प्रतिदिन दिल्ली बाजार भाव, योजना के अन्तर्गत खोले गए प्रापण केन्द्रों की संख्या, प्रापण किये गये सेब फल की मात्रा, सेब उत्पादन क्षेत्रों को परिवहन हेतु भेजे गये वाहनों की संख्या, विपणन हेतु उत्पादन क्षेत्रों से आने वाले वाहनों की संख्या तथा पिछले दो वर्षों का ब्यौरा तैयार करके प्रतिदिन प्रदेश सरकार और सूचना एवं जन संपर्क विभाग को आगामी उचित कार्रवाई हेतु भेजी जाती है ताकि फल व्यापार से जुड़े बागवान एवं संस्थायें, मण्डी प्रवृत्तियों का अध्ययन करके फलों के लाभकारी विपणन हेतु फलों को उचित मण्डियों में भेजकर अच्छी कीमतें प्राप्त कर सकें।

- (3) नीम्बू प्रजाति फलों का प्रापण.—प्रदेश सरकार द्वारा नीम्बू प्रजातिय फलों नामतः किन्नू/माल्टा/सन्तरा एवं गलगल फलों हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना 2018-19 लागू की गई जिसके अन्तर्गत प्रापण दरों का ब्यौरा इस प्रकार से है :-

फल का नाम	ग्रेड विवरण	प्रापण दर (प्रति कि.ग्रा. रुपयों में)
किन्नू/माल्टा/सन्तरा	"बी"	7.50
—यथोपरि—	"सी"	7.00
गलगल	"सभी ग्रेडज"	6.00

नीम्बू प्रजातिय फलों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में कुल 54 फल एकत्रीकरण केन्द्र खोले गये जिनमें से 4 फल एकत्रीकरण केन्द्रों पर 7.01716 लाख रुपय मूल्य का 97.011 मी. टन किन्नू एवं 0.125 मी.टन गलगल का प्रापण किया गया। योजना के अन्तर्गत फलों का प्रापण कार्य एच.पी.एम.सी. और हिमफैड द्वारा किया गया। योजना दिनांक 17.01.2019 से 15.02.2019 तक लागू की गई तथा इन्दपुर और भोगरवान में 17.01.2019 से 28.01.2019 तक लागू की गई।

- (4) प्लास्टिक क्रेटों का आबंटन.— गत वर्ष के दौरान प्रदेश के बागवानों को फसलोत्तर प्रबन्धन जैसे तुड़ाई, भण्डारण और परिवहन हेतु 96,600 प्लास्टिक क्रेट 50 प्रतिशत उपदान पर वितरित किये गये, जिससे लगभग 4830 बागवान लाभान्वित हुए।

वर्ष 2018-19

गुठली वाले फलों की मण्डियां	आम फलों की मण्डियां	नाशपाती फलों की मण्डियां	सेब फलों की मण्डियां	नीम्बू प्रजाति फलों की मण्डियां
1. शिमला	1. दिल्ली	1. दिल्ली	1. दिल्ली	1. दिल्ली
2. कांगड़ा	2. चण्डीगढ़	2. शिमला	2. शिमला	2. बैंगलोर
3. जसुर	3. शिमला	3. ऊना	3. अमृतसर	3. शिमला
4. ऊना	4. अमृतसर		4. चण्डीगढ़	4. लखनऊ
	5. ऊना		5. ऊना	5. जम्मू
	6. बिलासपुर		6. कोलकाता	6. अमृतसर
	7. कुल्लू		7. कुल्लू	7. चण्डीगढ़
	8. जसुर		8. चेन्नई	8. चेन्नई
			9. बंगलौर	9. नागपुर
			10. रांची	10. कोलकाता
			11. पटना	
			12. लखनऊ	
			13. नागपुर	
			14. भुवनेश्वर	
			15. त्रिवेणद्रम्	

## अध्याय-9

### पौध संरक्षण

पौध संरक्षण कार्यक्रम उद्यान विभाग का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य बागवानों को पौध संरक्षण उपायों हेतु विस्तारपूर्वक तकनीकी सेवा तथा समय-समय पर विभिन्न कीटों एवं व्याधियों की रोकथाम हेतु बागवानों को उनके निकटतम केन्द्र से पौध संरक्षण दवाईयों का उपलब्ध करवाना है। इस समय विभाग में कुल 354 पौध संरक्षण केन्द्र/उप केन्द्र/उद्यान प्रसार केन्द्र हैं जिनके माध्यम से बागवानों को कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाईयां तथा पौध संरक्षण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के बागवानों को ₹ 1813.996 लाख की 349.900 मी० टन पौध संरक्षण दवाईयां उपलब्ध करवाने हेतु कुल ₹ 520.8957 लाख की राशि उपदान के रूप में व्यय की गई है। योजनाओं का विवरण इस प्रकार से है:-

सेब स्कैब रोग नियन्त्रण हेतु योजना :

1. सेब के कैंकर रोग तथा माईट पेस्ट की रोकथाम हेतु योजना
2. आम, लीची, आड़ू, प्लम, बादाम एवं नीम्बू प्रजातीय फलों के मुख्य कीटों तथा रोगों के नियन्त्रण हेतु योजना।

इस के अतिरिक्त फलों में लगने वाले विभिन्न रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा लगभग 35,000 छिड़काव सारणियां बागवानों को मुफ्त बांटी गई।

पौध संरक्षण के अन्तर्गत उपचारित क्षेत्र :

वर्ष 2018-19 के दौरान पौध संरक्षण के अन्तर्गत कुल 2,09,722.04 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया गया। फलस्वरूप प्रदेश में उगाये जा रहे फल-पौधों में पनपने वाले कीटों, माईट तथा रोगों को नियन्त्रित किया गया, जिससे स्वस्थ फलों का उत्पादन सम्भव हो सका।

जैव नियन्त्रण प्रयोगशाला :

प्रदेश में फलों के बागीचों को कीटों एवं रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशकों/फफूंदनाशकों इत्यादि की जगह प्रयोग किये जाने वाले मित्र कीटों, फफूंद इत्यादि को तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से रझाणा, शिमला-9 में जैव नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यहां पर सैन्जोस्केल, अनार बटरफलाई और वूली एप्पल ऐफिड की रोकथाम हेतु मित्र कीटों जैसे कि कराईसोपर्ला, अफाईटिस, ट्राईकोग्रामा किलानिस इत्यादि का गुणन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में हानिकारक कीटों की रोकथाम हेतु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्राईकोग्रामा प्रजाति के कीड़ों के 955 कार्ड (एक कार्ड पर लगभग 15000 अण्डे चिपके होते हैं) विभिन्न क्षेत्रों में छोड़े गए। इसी तरह से रिडोबिड बग 25310 तथा कराइसो पर्ला कारनिया का 500 का उत्पादन हुआ। इसी तरह से इन्टोमोपैथोजेनिक नेमोटोड के संक्रमित लारवा 28000 (एक लारवा से लगभग 25000 नेमोटोड का उत्पादन हुआ) का उत्पादन हुआ। ये सभी सामग्री विभिन्न क्षेत्रों के किसानों एवं बागवानों को वितरित की गई। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 158.67 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया गया तथा लगभग 444 बागवानों/अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

फल पौधशाला पंजीकरण कार्यक्रम :

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा 32 नई पौधशालाओं का पंजीकरण, हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत किया गया तथा 91 पौधशालाओं के लाईसेंस का नवीनीकरण किया

गया। वर्ष के अन्त तक विभागीय तथा निजी पौधशालाओं की संख्या 541 रही जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

विभागीय पंजीकृत फल पौधशालाओं की संख्या	67 संख्या
निजी पंजीकृत फल पौधशालाओं की संख्या	474 संख्या

## अध्याय-10

### मौन पालन

#### मौनपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियां

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विविध प्रकार के फूलों की प्राकृतिक तौर पर उपलब्धता प्रदेश में मौन पालन व्यवसाय के प्रति अत्यन्त अनुकूल है। मनुष्य के भोजन का एक तिहाई भाग पर-परागण फसलों से प्राप्त होता है। पर-परागण में मधुमक्खियों का विशेष योगदान रहता है। प्रदेश में हर वर्ष विभिन्न फलों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल बढ़ रहा है तथा प्रदेश फल राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। फलों एवं फसलों की निरन्तर उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मधुमक्खियों का विशेष योगदान रहा है। अतः विभाग द्वारा प्रदेश में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। जिसके अन्तर्गत बेराजगार नवयुवकों को स्वरोजगार अपनाने हेतु प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1. वर्तमान में राजकीय मौन पालन केन्द्रों की कुल संख्या	35
2. वर्तमान में राजकीय मौन पालन केन्द्रों में मौन वंशों की कुल संख्या	1785
3. राजकीय मौन पालन केन्द्रों पर कुल मधु उत्पादन मि० टन	8.083
4. निजी मौन पालकों के पास मौन वंशों की संख्या	80290
5. निजी मौन पालकों द्वारा कुल मधु उत्पादन मि० टन	1583.018
6. वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आयोजित किये मौन पालन प्रशिक्षण शिविरों की संख्या	43
7. प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या:	1262
8. उपरोक्त प्रशिक्षणार्थियों में से महिला प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	234
9. वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत मौन वंशों का वितरण	1384
10. वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत मौन गृहों का वितरण	174
11. वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत मोमी छतों का वितरण	0
12. परागण क्रिया हेतु उपलब्ध करवाये मौन वंशों की संख्या	744

## पुष्प उत्पादन

विविध वातावरण हिमाचल प्रदेश को प्रकृति की देन है। इस कारण यहां पर फलों के अतिरिक्त फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। वैशविक जलवायु परिवर्तन तथा एक ही फसल को बार-बार एक ही क्षेत्र में उगाए जाने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं अतः बागवानी क्षेत्र में विविधता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों से फूलों की खेती अधिक पैसा कमाने का साधन बनती जा रही है और किसान पुष्प उत्पादन को व्यवसायिक रूप में अपना रहे हैं। प्रदेश का जलवायु पुष्प उत्पादन के लिये अनुकूल होने के कारण यहां अधिकतर फूलों का उत्पादन उस समय होता है जबकि मैदानी इलाकों में फूल उपलब्ध नहीं होते। उच्च गुणवत्ता एवम् बेमौसमी फूलों के उत्पादन से यहां के पुष्प उत्पादकों को अच्छी आय प्राप्त होती है। प्रदेश में बागवानी क्षेत्रों में विविधता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। किसानों को पुष्प उत्पादन संबंधी जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 161 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 2530 किसानों ने जानकारी प्राप्त की। वर्ष 2018-2019 के दौरान प्रदेश में लगभग 706 हैक्टेयर क्षेत्र में व्यवसायिक पुष्प उत्पादन का कार्य हुआ है जिसमें से लगभग 220 हैक्टेयर क्षेत्र संरक्षित खेती के अन्तर्गत रहा है। गत वर्ष प्रदेश में लगभग 19.6 करोड़ कटे फूलों और 5670 मी० टन खुले फूलों का उत्पादन हुआ है जिससे प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को लगभग 91.17 करोड़ रुपये की आय हुई है। पुष्प उत्पादन से जहां किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है वहीं और अधिक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। व्यवसायिक पुष्प उत्पादन का कार्य मुख्यतः सिरमौर, कांगड़ा, मण्डी, सोलन, शिमला, चम्बा, बिलासपुर, ऊना, तथा कुल्लू जिलों में किया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यतः ग्लेडियोस, कारनेशन, गैन्दा, लिलियम, गुलदाउदी जरबरा, गुलाब तथा अन्य मौसमी फूलों की खेती की जा रही है जिसमें अधिकतर क्षेत्र ग्लेडियोस, गुलदाउदी कारनेशन तथा गैन्दा के अन्तर्गत है।

### विभागीय पुष्प केन्द्र

पुष्प पौध सामग्री के संग्रह, प्रजनन एवं किसानों को पुष्प पौध सामग्री उचित दर पर उपलब्ध करवाने तथा फूलों की खेती को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से छः पुष्प नर्सरियां और दो आदर्श पुष्प केन्द्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं:-

<u>क्र०सं०</u>	<u>पुष्प पौधशाला का नाम</u>	<u>जिला का नाम</u>
1.	पुष्प नर्सरी, नव-बहार	शिमला
2.	पुष्प नर्सरी, छराबड़ा	शिमला
3.	आदर्श पुष्प केन्द्र, महोग-बाग, चायल	सोलन
4.	पुष्प नर्सरी, परवाणु	सोलन

5.	पुष्प नर्सरी, बजौरा	कुल्लू
6.	पुष्प नर्सरी, भट्टू	कांगड़ा
7.	पुष्प नर्सरी, धर्मशाला	कांगड़ा
8.	आदर्श पुष्प केन्द्र, पालमपुर	कांगड़ा

इसके अतिरिक्त विभाग के अन्य फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केन्द्रों में भी पुष्प पौध सामग्री का रोपण किया गया है जिससे उत्पादकों को पुष्प उत्पादन कार्य का प्रदर्शन होता है तथा पुष्प सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न पुष्प नर्सरियों से निम्नलिखित पुष्प सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई गई जिससे लगभग 8.22 लाख रुपये की आय हुई है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

<u>क्रम संख्या</u>	<u>पौध सामग्री का विवरण</u>	<u>मात्रा / संख्या</u>
1.	कटिंग/पोलीथीन बैग में लगे पौधे	19,810
2.	मौसमी पौधे	84,823
3.	गमलों में लगे पौधे	5037
5	कटे फूल	420

#### आदर्श पुष्प केन्द्र

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रदेश में व्यवसायिक पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो आदर्श पुष्प केन्द्र, महोगबाग चायल और पालमपुर में कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में टिशुकल्चर प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में सेब रूट स्टॉक के अतिरिक्त पुष्प पौध सामग्री का भी प्रवर्धन किया जा रहा है और पुष्प उत्पादकों तथा किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2018-2019 के दौरान 1050 पुष्प पौध सामग्री का प्रवर्धन किया गया और प्रदेश के किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाए गए।

इन केन्द्रों में कृषक प्रशिक्षण एवं सलाहकार सेवाओं की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में 400 किसानों को व्यवसायिक पुष्प उत्पादन के बारे प्रशिक्षण दिया गया। आदर्श पुष्प केन्द्र, महोगबाग चायल में फसलोत्तर प्रबन्धन हेतु हैण्डलिंग यूनिट और पुष्प सामग्री के भण्डारण एवं उपचार हेतु शीत भण्डारण की सुविधा भी उपलब्ध है जहां प्रदेश भर से पुष्प उत्पादक लिलियम के कन्द भण्डारण के लिए समय-समय पर लाते हैं। इन केन्द्रों में लगभग 0.67 हैक्टेयर में हरित गृह स्थापित किये गये है।

## अन्य उल्लेखनीय कार्य

1. शिमला एमेच्योर गार्डन तथा एनवार्यमेंट सोसाईटी द्वारा शिमला में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी के आयोजन के लिए पुष्प अनुभाग द्वारा पूर्ण तकनीकी सहयोग संस्था को प्रदान किया गया तथा पुष्प पौधों, गमलों व फूलों के प्रदर्शन एवं बिक्री के लिये स्टाल लगाया गया।
2. शिमला में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं रैंडक्रास मेले में पुष्प अनुभाग द्वारा सजावटी पौधों की प्रदर्शनी तथा विक्रय के लिये स्टाल लगाया गया।
3. पुष्प अनुभाग द्वारा विशिष्ट अतिथियों के शिमला आगमन पर तथा विभिन्न प्रकार के समारोहों के आयोजन पर मांग के अनुसार पुष्प गुच्छ (बुके) तथा फूल मालाओं की आपूर्ति की गई।
4. लगभग 2860 किसानों एवं पुष्प प्रेमियों ने विभागीय नर्सरियों में आकर तथा सजावटी पौधों का क्रय किया तथा उनके रख-रखाव से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की तथा 595 किसानों एवं विद्यार्थियों को व्यवसायिक पुष्प उत्पादन से सम्बन्धित कार्य को पुष्प नर्सरियों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसानों को जानकारी देने हेतु 631 सलाहकारी दौरे किये गए।
5. जिला कांगड़ा, सोलन, सिरमौर तथा कुल्लू में पुष्प अनुभाग द्वारा 19 पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिनमें सजावटी पौधों के प्रदर्शन तथा विक्रय के लिए स्टाल लगाया गया एवं किसानों को व्यवसायिक पुष्प उत्पादन के बारे में आवश्यक जानकारी उनलब्ध करवाई गई।



## फल विधायन एवं परिरक्षण

फल व सब्जी का विधायन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का एक अभिन्न अंग बन गया है जिसके अन्तर्गत एच.पी.एम.सी. की दो, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र की एक-एक व उद्यान विभाग की 8 विधायन इकाईयां तथा अनेक निजी विधायन इकाईयां सम्मिलित हैं। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को फल सब्जियों के परिरक्षण हेतु प्रशिक्षण देना तथा सामुदायिक सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध स्थानीय फल सब्जियों का विधायन करना है। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश इस विधायन उद्योग में प्रमुख भूमिका निभा रहा है जो कि प्रशिक्षण, सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा के अतिरिक्त हिमकू ब्राण्ड के उत्तम फल पदार्थ भी तैयार कर रहा है।

विधायन योग्य फलों के उपयोग हेतु प्रदेश में 8 फल विधायन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से 3 फल विधायन इकाईयां उत्तरी क्षेत्र के नगरोंटा बगवां (कांगड़ा), राजपुरा (चम्बा) तथा शमशी (कुल्लू) में स्थापित हैं, जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण अतिरिक्त निदेशक उद्यान, धर्मशाला के पास है। फल प्रौद्योग विज्ञ, नगरोंटा बगवां के पास फल विधायन केन्द्र, नगरोंटा बगवां तथा राजपुरा का तकनीकी नियन्त्रण है, जबकि फल प्रौद्योग विज्ञ, शमशी के पास फल विधायन केन्द्र, शमशी का नियन्त्रण है। वर्ष 2001 के दौरान 5 फल विधायन इकाईयां नामतः टौणी देवी, नादौन (जिला हमीरपुर), किन्नू (जिला ऊना), देहरा, नूरपुर (जिला कांगड़ा) में स्थापित की गई हैं जिनका प्रशासनिक एवं तकनीकी नियन्त्रण फल प्रौद्योग विज्ञ, नगरोंटा बगवां के पास है। इनकी स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को फलों तथा सब्जियों के परिरक्षण हेतु प्रशिक्षण देना तथा सामुदायिक सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध स्थानीय फलों-सब्जियों का विधायन करना है।

अन्य 5 फल विधायन केन्द्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र नवबहार (शिमला), निहाल (बिलासपुर), राजगढ़, धौलाकुआं (सिरमौर) तथा रिकांगपिओ (किन्नौर) में कार्य कर रहे हैं, जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण संयुक्त निदेशक उद्यान, शिमला के पास है। तकनीकी तौर पर बिलासपुर इकाई का नियन्त्रण फल प्रौद्योग विज्ञ, शिमला करते हैं तथा सिरमौर की दोनों इकाईयों के नियन्त्रक फल प्रौद्योग विज्ञ, धौलाकुआं हैं। किन्नौर इकाई का नियन्त्रक विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल परिरक्षण) रिकांगपिओ, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) है।

वर्तमान में इन विधायन इकाईयों में विभिन्न प्रकार के जैम, फलों के रस एवं पेय पदार्थ, स्कवैश, चटनी, कैंडी, मुरब्बा तथा फल एवं सब्जियों के आचार का उत्पादन और बिक्रय का कार्य हो रहा है। सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा के अन्तर्गत विभागीय इकाईयों द्वारा स्थानीय किसानों/बागवानों को उनकी उपज से विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों से निर्मित पौष्टिक पदार्थ उचित दरों पर तैयार करके उन्हें उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महिलाओं, कृषकों, विद्यालयों के युवक-युवतियों को क्षेत्रीय स्तर पर फलों एवं सब्जियों से परिरक्षित फल पदार्थ तैयार करने हेतु विभाग द्वारा उन्हें प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इन विधायन इकाईयों में कार्यरत विशेषज्ञों द्वारा 63 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 2964 प्रशिक्षणार्थियों को फल विधायन एवं परिरक्षण हेतु घरेलू व व्यावसायिक स्तर पर व्यावहारिक जानकारी दी गई।

फल प्रौद्योगिक संभाग के अन्तर्गत गुणवत्ता नियन्त्रण एवं उत्पाद मानकीकरण प्रयोगशाला, नवबहार, शिमला-2 भी स्थापित की गई है, जिसका प्रशासनिक नियन्त्रण भी संयुक्त निदेशक उद्यान शिमला के पास

है। इस प्रयोगशाला द्वारा फल विधायन इकाइयों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों की गुणवत्ता का विश्लेषण एवं मानकीकरण किया जाता।

दिनांक 1-4-2018 से 31-3-2019 के दौरान फल विधायन एवं परिरक्षण गतिविधियों की भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

क्र. स.	विवरण	शिमला	नगरोटा बगवां *	धौला कुआं	शमशी	रिकांग-पिओ	निहाल बिलासपुर	राजगढ़	राजपुरा चम्बा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	फल सब्जियों का उपयोग (मी० टन)	5.33	6.253	11.82	3.56	2.75	7.81	5.79	2.02	45.333
2.	फल पदार्थों का उत्पादन (मी० टन)	6.95	7.202	17.212	5.747	2.21	12.44	2.605	.64	55.006
3.	सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा (मी० टन)	6.5	3.155	0.631	4.155	8.091	7.049	1.954	0.298	31.833
4.	प्रशिक्षण शिविरों की संख्या	11	3	17	8	0	12	7	5	63
5.	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	520	617	632	400	—	378	182	235	2964

\*इस केन्द्र के अन्तर्गत पांच फल विधायन एवं प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः टौणी देवी, नादौन जिला हमीरपुर, किन्नू जिला ऊना, देहरा व नूरपुर जिला कांगड़ा में कार्य कर रहे हैं। जिनकी उपलब्धियां इस केन्द्र के साथ दर्शाई गई हैं। इस वर्ष इन पांच सामुदायिक फल विधायन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में 1.51 मि० टन फलों एवं सब्जियों से परिरक्षित पदार्थ निर्मित करके 319 किसानों/बागवानों को लाभान्वित किया गया।

## खुम्ब उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसे कृषि गतिविधियों में सम्मिलित किया है जिससे किसानों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। उद्यान विभाग कृषकों को खुम्ब उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में इस गतिविधि हेतु प्रशिक्षण तथा कम्पोस्ट उपलब्ध करवाने के लिये विषय विशेषज्ञ उद्यान (खुम्ब परियोजना), चम्बाघाट, सोलन तथा दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है। खुम्ब उत्पादन से जुड़े कृषकों को विभाग द्वारा सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु उत्तरी क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञ उद्यान (खुम्ब), पालमपुर और धारबग्गी जिला कांगड़ा तथा विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल विकास परियोजना), बजौरा, जिला कुल्लू में कार्यरत हैं। बजौरा तथा धारबग्गी कम्पोस्ट इकाईयों ने वर्ष 2004 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। वर्ष 2018-19 के दौरान विभागीय इकाई, दत्तनगर में 52.74 टन, बजौरा में 77.53 टन, पालमपुर एवं धारबग्गी 287.76 टन खुम्ब खाद का उत्पादन किया गया। सोलन की खुम्ब खाद निर्माण इकाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग के फोर लेनिंग कार्य के कारण बन्द है।

खुम्ब विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

1. प्रदेश के कृषकों को खुम्ब उत्पादन तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान हिमाचली प्रशिक्षणार्थियों को ₹250/- प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है।
2. इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को खुम्ब उत्पादक के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
3. खुम्ब उत्पादकों को उत्तम गुणवत्ता की पास्चुराईज्ड कम्पोस्ट की आपूर्ति।
4. खुम्ब उत्पादकों को उत्तम गुणवत्ता की केसिंग मिट्टी की निशुल्क आपूर्ति।
5. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आई0 आर0 डी0 पी0 वर्गों के पंजीकृत खुम्ब उत्पादकों को कम्पोस्ट पर ₹40/- प्रति ट्रे की दर से तथा लघु एवं सीमान्त किसानों तथा बेरोजगार स्नातक वर्ग के पंजीकृत खुम्ब उत्पादकों को ₹20/- प्रति ट्रे की दर से निर्धारित उपदान जिसकी अधिकतम सीमा 400 ट्रे तक है।
6. खुम्ब खाद के परिवहन अनुदान की दर शत-प्रतिशत है।
7. इच्छुक पंजीकृत खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब भवन की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्रकरण तैयार करने में सहायता।
8. खुम्ब उत्पादकों द्वारा लाये गये कम्पोस्ट व केसिंग मिट्टी के रोगग्रस्त नमूनों की निःशुल्क जांच।
9. खुम्ब उत्पादकों के खुम्ब भवन पर जाकर आवश्यक तकनीकी सेवा उपलब्ध करवाना।
10. उत्पादकों को खुम्ब उत्पादन सम्बन्धी साहित्य की निःशुल्क आपूर्ति।
11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब भवन 20'X12'X10' की स्थापना के लिए 50,000/- रुपये की सहायता राशि।

12. एम.आई.डी.एच. स्कीम के अन्तर्गत कम्पोस्ट यूनिट के लिए ₹8 लाख, खुम्ब बीज इकाई के लिए ₹6 लाख तथा उत्पादन इकाई हेतु ₹8 लाख की सहायता राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं :---

क्र.सं.	विवरण	इकाई	भौतिक उपलब्धि
1.	नई खुम्ब इकाईयों का पंजीकरण	संख्या	281
2.	नई खुम्ब इकाईयों की स्थापना	संख्या	41
3.	कम्पोस्ट का उत्पादन :		
	क. विभागीय इकाईयों में	टनों में	418.03
	ख. निजी इकाईयों में	टनों में	33540
4.	विभागीय इकाईयों से कम्पोस्ट का वितरण :		
	क. विशेष घटक योजना (राज्य योजना) व विशेष केन्द्रीय सहायता	टनों में	112.04
	ख. जनजाति उप योजना (आरूट साईड ट्राईबल एरिया)	टनों में	31.36
	ग. लघु/सीमान्त बागवान	टनों में	171.08
	घ. सामान्य योजना	टनों में	103.55
	योग	टनों में	418.03
5.	खुम्ब खाद कम्पोस्ट के वितरण से लाभान्वित बागवान :		
	क. विशेष घटक योजना (राज्य योजना)	संख्या	41
	ख. विशेष केन्द्रीय सहायता		
	ग. जनजाति उप-योजना (आरूट साईड ट्राईबल एरिया)	संख्या	11
	घ. लघु एवं सीमान्त बागवान	संख्या	60
	ड. सामान्य योजना	संख्या	25
	योग	संख्या	137
6.	स्पॉन बोतलों का वितरण :		
	(i) विभाग द्वारा वितरित स्पॉन बोतल 200 ग्राम	संख्या	15722
	(ii) निजी इकाईयों द्वारा वितरित स्पॉन बोतल 200 ग्राम	संख्या	238747
	योग	संख्या	254469

क्र.सं.	विवरण	इकाई	भौतिक उपलब्धि
7.	खुम्ब उत्पादन :		
	(i) विभागीय इकाईयों में	टन	—
	(ii) निजी इकाईयों में	टन	14206.7
	कुल खुम्ब उत्पादन	टन	14206.7
8.	खुम्ब उत्पादन में प्रशिक्षित बागवान	संख्या	1017

## उद्यान सूचना सेवा

उद्यान सूचना सेवा प्रदेश में बागवानी विकास के लिये सभी संचार माध्यमों जिनमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्रों, प्रदर्शनियों, मेलों तथा मुद्रणालय के माध्यम से बागवानी से सम्बन्धित विषयों पर न सिर्फ कृषकों को ही जानकारी उपलब्ध करवाता है अपितु प्रसार कार्यकर्ताओं को भी आधुनिक एवं सम्सामायिक तकनीकी ज्ञान से अवगत करवाता है। विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाओं, सहायतायें एवं सुविधाओं की जानकारी सूचना अनुभाग द्वारा कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त विविध कार्य जैसे निविदायें छपवाना, प्रैस नोट, चलचित्रों का निर्माण एवं प्रदर्शन, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्यानिकी उत्पादों की प्रदर्शनियों/प्रतियोगिताओं का मेलों के अवसर पर आयोजन तथा आवश्यकतानुसार प्रदर्शनीय सामग्री तैयार करके बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है।

प्रतिवेदन काल में जो साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन, प्रसार भारती से कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण, समाचार पत्रों द्वारा प्रचार-प्रसार तथा अन्य कार्य उद्यान सूचना अनुभाग द्वारा किए गए हैं, उनका विवरण इस प्रकार से है:-

- (1) औद्यानिकी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन.-किसान-बागवानों तक उन्नत बागवानी तकनीकी तथा विभिन्न योजनाएं जो उद्यान विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, उनकी जानकारी पहुंचाने में पाठ्य सामग्री का विशेष योगदान है। कृषकों को बागवानी सम्बन्धित तकनीकी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न विषयों पर पाठन सामग्री वितरण करने हेतु प्रकाशित करवाया जाता है, जिसे निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशिक्षण शिविरों, प्रदर्शनियों एवं किसान मेलों के दौरान इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया जाता है। कृषकों को लाभान्वित करने हेतु गत वर्ष औद्यानिकी सम्बन्धी विषयों पर अनेक प्रकाशन मुद्रित किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. **Spray Schedule Year 2019 (Apple)**
2. छिड़काव सारणी 2019 (सेब)
3. छिड़काव सारणी 2019 (आम, नीम्बू प्रजातीय फल)
4. मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना
5. हिमाचल पुष्प क्रांति योजना
6. ओला अवरोधक जाली स्थापना योजना
7. हिमाचल प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन
8. मुख्यमंत्री मधु विकास योजना
9. मौसम आधारित फसल बीमा योजना
10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
11. पुस्तिका- हिमाचल प्रदेश में बागवानी

12. पुस्तिका— हिमाचल प्रदेश में कीवी फल की बागवानी—प्रश्नोत्तरी
  13. प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2016—17
  14. उद्यान कार्ड
- (2) प्रसार भारती, शिमला द्वारा उद्यान कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार.—भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों Mass Media Support to Agriculture Extension के अन्तर्गत रेडियो व दूरदर्शन बागवानों एवं किसानों तक उन्नत औद्यानिकी कार्यक्रमों तथा नवीनतम तकनीकी जानकारी दूरदराज क्षेत्रों में पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीनतम बागवानी जानकारी, चैट शो (Chat Show) आदि का प्रसारण समय-समय पर प्रसार भारती शिमला से करवाया गया।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र, शिमला द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में वर्ष 2018—19 के दौरान विभागीय विशेषज्ञों द्वारा विविध विषयों पर औद्यानिकी सम्बन्धी जानकारी किसानों/बागवानों को समय-समय पर दी गई। इस दौरान फलोद्यान केन्द्रों तथा प्रगतिशील बागवानों की फील्ड रिकार्डिंग दूरदर्शन द्वारा प्रसारित करवाई गई। इन कार्यक्रमों में 22 लाईव फोन-इन, 1 लाईव-चैट शो कार्यक्रम आयोजित किये गए जिसके प्रगतिशील बागवानों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी केन्द्र, शिमला से एक दर्जन से अधिक कृषि जगत कार्यक्रमों में भी विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया। विभिन्न अवसरों पर आवश्यक सूचना, प्रेस नोट, समाचार विज्ञप्तियों के आकाशवाणी/दूरदर्शन से प्रसारण हेतु आवश्यक पग उठाए गए। राज्य स्तरीय अर्न्तप्रचार माध्यम समन्वय समिति (IMPCC) की मासिक बैठकों के अवसर पर विभागीय गतिविधियों से समिति को अवगत करवाया गया।

- (3) समाचार पत्रों/पत्रिकाओं द्वारा प्रचार.—प्रदेश में बागवानी व्यवसाय तथा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु विभाग के कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी समाचार पत्रों में विज्ञापन, लेख, प्रेस विज्ञप्ति आदि छपवाकर इन्हें समय-समय पर जारी किया गया। विभाग की गतिविधियों एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एकीकृत बागवानी विकास मिशन की योजनाओं, फल परिरक्षित पदार्थ, सेब के पुराने बागीचों का जीर्णोद्धार तथा विभागीय पुष्प पौधशालाओं में उपलब्ध पौध सामग्री के प्रचार-प्रसार के लिये विभिन्न समाचार पत्रों/साप्ताहिकों/सोविनियर इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन दिए गए। विभिन्न अवसरों पर जारी होने वाली स्मारिकाओं में भी उद्यान विभाग के कार्यक्रमों से सम्बन्धित विज्ञापन जनहित में प्रकाशित किए गए जिससे अधिक से अधिक किसान-बागवान लाभान्वित हो सकें।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में अवस्थित कार्यालयों से प्राप्त निविदाओं एवं अन्य विविध प्रचार सामग्री को प्रकाशित करवाने हेतु आगामी कार्रवाई की गई। समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रामक समाचारों के स्पष्टीकरण/खण्डन हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।

- (4) उद्यान प्रदर्शनियों व झांकियों का आयोजन.—उद्यान सूचना सेवा द्वारा बागवानी से सम्बन्धित विषयों पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फल प्रदर्शनियों/प्रतियोगिताओं का मेलों के अवसर पर आयोजन तथा आवश्यकतानुसार प्रदर्शनीय सामग्री तैयार करके उद्यान गतिविधियों को दर्शाया गया।

**I.** अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मेले:

- (1) मिंजर मेला, चम्बा (2) मेला रेणुका, रेणुका (3) दशहरा मेला, कुल्लू (4) लवी मेला, रामपुर बुशहर (5) शिवरात्रि मेला, मण्डी (6) अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (7) अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव।

**II.** राज्य स्तरीय मेले:

- (1) मेला, रोहडू (2) मेला, आनी (3) होली मेला, पालमपुर (4) शिवरात्रि मेला, बैजनाथ (5) होली मेला, सुजानपुर (6) शिवरात्रि मेला, काठगढ़ (इन्दौरा) (7) शिवरात्रि मेला, सुलह (अक्षयाण) (8) दशहरा मेला, जयसिंहपुर (9) जनजातीय महोत्सव, केलांग (10) हमीर उत्सव हमीरपुर, (11) जनजातीय महोत्सव, रिकांगपिओ (12) नलवाड़ मेला, बिलासपुर, (13) सोनभद्र उत्सव, ऊना (14) शूलिनी मेला, सोलन।

**III.** अन्य मेले:

1. शिरगुल मेला, सराहां, सिरमौर (2) सीपुर मेला, मशोबरा (3) वामन द्वादशी मेला, सराहां (सिरमौर) (4) रेड क्रास मेला—2017, शिमला (5) रैडक्रास मेला, ठियोग।

**IV.** राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 2018 के अवसर पर विभागीय झांकी में औद्यानिकी सम्बद्धी गतिविधियों के प्रदर्शन का आयोजन।

- (5) अन्य विविध कार्य.—उद्यान विभाग के पुस्तकालय में विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तकनीकी साहित्य, समाचार पत्र तथा पत्रिकायें उपलब्ध करवाने के प्रयास किए गए। विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों, स्मारिकाओं तथा पत्रिकाओं में प्रकाशन से विभाग से सम्बन्धित निविदा सूचनाएं, रोजगार सूचनाएं तथा तकनीकी जानकारी सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रकाशन विज्ञापनों को प्रसारित करवाया गया। इसके अतिरिक्त समसामयिक गतिविधियों तथा अन्य जानकारी का प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारण करवाया गया।

- (6) अन्य उल्लेखनीय कार्य:

वर्ष के दौरान शिमला में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी हेतु पुष्प अनुभाग को तकनीकी सहयोग दिया गया। इस आयोजन पर पुष्प एवं गमलीय पौधों की प्रदर्शनी तथा फल विधायन केन्द्र शिमला द्वारा विभिन्न पदार्थों की बिक्री हेतु स्टाल लगाया गया।



## उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी

विभाग द्वारा योजना को वैज्ञानिक ढंग से नियोजित करने के लिये विश्वसनीय आधारभूत सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। नीति निर्धारण तथा योजना विश्लेषण हेतु शुद्ध आंकड़े सांख्यिकी पद्धति द्वारा ही बनाये जा सकते हैं जिसकी आवश्यकता अब बहुमुखी आकार प्राप्त कर चुकी है। बागवानी में सतत विकास विभाग द्वारा योजना को वैज्ञानिक ढंग से नियोजित करने के लिये विश्वसनीय आधारभूत सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। उद्यान विभाग में उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी अनुभाग की स्थापना की गई है जो कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा संकलन करता है तथा संकलित प्रतिवेदन सरकार तथा सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से भेजा जाता है।

इस अनुभाग द्वारा प्रदेश में उत्पादित विभिन्न फलों का अनुमान लगा कर समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, तूफान, सूखा तथा कोहरा इत्यादि से फल फसलों एवं फल पौधों को हुई क्षति का विवरण तैयार करने के पश्चात् अनुमानित फल उत्पादन की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न फलों विशेषतया सेब, आम व नींबू प्रजाति के फलों के लिये मण्डी मध्यस्थता योजना तैयार करने व फलों को विपणन हेतु मण्डियों में पहुंचाने के लिये विस्तृत योजना तैयार की जाती है तथा वर्ष के अन्त में प्रदेश में पैदा हुये विभिन्न फलों का वास्तविक उत्पादन जिलावार व फलवार विवरण तैयार किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष औसतन 15 से 20 लाख फल पौधों का वितरण प्रदेश के किसानों को किया जाता है। फल पौधों के वितरण के आधार पर फल पौधों की मृत्यु दर के पश्चात् विभिन्न फल पौधों के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रफल का जिलावार व विकास खण्डवार विवरण तैयार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग में चलाई जा रही सूचना प्रौद्योगिकी योजनाओं जैसे कि एग्रीसनेट, एन0 ई0 जी0 पी0 तथा एजीसैक का संचालन इस अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। विभागीय वेबसाईट की देखरेख का कार्य भी इसी अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। एग्रीसनेट के अन्तर्गत बागवानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। बागवान घर में बैठकर एग्रीसनेट के पोर्टल से विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनसे लाभ उठा सकते हैं।

उद्यान विभाग द्वारा बागवानी के विकास के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक अनुश्रवण हेतु इस अनुभाग द्वारा इन योजनाओं के अन्तर्गत वितरित लक्ष्यों के आधार पर जिलावार उपलब्धियों का संकलन किया जाता है तथा प्रतिवेदन को समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2018-19 में मुख्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का सारांश

क्र०सं०	विवरण	इकाई	कुल प्रगति
1	2	3	4
1.	फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों में कुल पौधों का उत्पादन	संख्या (लाखों में)	6.44
2.	फल पौधों का वितरण	संख्या (लाखों में)	19.44
3.	पत्ती विश्लेषण सेवा के अन्तर्गत कुल विश्लेषित नमूने	संख्या	19011
4.	क. पौध संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया कुल क्षेत्र	है०	209722
	ख. जैव नियन्त्रण के अन्तर्गत लाया गया	है०	158.67
5.	बागवानी के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	है०	5839.07
6.	बागवानी के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल	है०	230852
7.	फल पौधों की शीर्ष कलमबन्दी	संख्या	47718
8.	फलदार पौधों की कांट-छांट	संख्या	34943
9.	कुल फल उत्पादन	लाख टन	4.88
10.	कुल शुष्क हॉप्स उत्पादन	मी० टन	—
11.	कुल खुम्ब का उत्पादन	मी० टन	14206.7
12.	पुष्प उत्पादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल	है०	708.85
13.	कुल मधु उत्पादन	मी० टन	1591.10
14.	विभागीय फल विधायन केन्द्रों में कुल निर्मित फल पदार्थ	मी० टन	55.006
15.	सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा के अन्तर्गत कुल निर्मित पदार्थ	मी० टन	31.833
16.	प्रशिक्षण शिविरों में कुल प्रशिक्षित बागवान	संख्या	56590
17.	जैतून फल का कुल उत्पादन	मी० टन	34
18.	मण्डी विपणन के अन्तर्गत कुल मण्डियों का लाना	संख्या	40

19.	प्रदर्शन के रूप में फल बक्सों की ग्रेडिंग एवं पैकिंग	संख्या	43431
-----	--	--------	-------

अध्याय-16

बागवानी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित, हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना

बागवानी विकास हेतु विश्व बैंक पोषित, हि0 प्र0 उद्यान विकास परियोजना, प्रदेश में वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ की गई है। यह परियोजना कुल ₹ 1134 करोड़ से सात वर्षों में कार्यान्वित की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य चिन्हित बागवानी उत्पादों तथा फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, लघु किसानों व कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक सेब, चैरी, नाशपाती, पलम, आडू आदि के 7.54 लाख पौधे आयात किए गये हैं जिन्हें प्रारम्भ में उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश के चिन्हित फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों के फार्म में लगाया गया है। इनमें से अब तक 1,19,794 पौधे बागवानों में वितरित किए जा चुके हैं। निचले घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों में पृथक रूप से 28887 फल पौधे परियोजना के अन्तर्गत बागवानों में वितरित किए गए हैं। आगामी वर्षों में भी पौधों का आयात किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें विभिन्न उन्नत किस्म के पौधे तथा मूलवृन्त भी आयात किए जाएंगे। इस परियोजना के अन्तर्गत उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अब तक 196 बागवान समूह बनाए गए जिनमें 2367 बागवानों का चयन किया गया है, जबकि निचले घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों में 61 समूह बनाए गए तथा 608 बागवानों का चयन किया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप:

उक्त परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यकलापों को निम्न घटकों व संघटकों में बांटा गया है :

(क) बागवानी उत्पादन व विविधिकरण.—चिन्हित फल फसलों की दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ाने हेतु समुचित विश्व स्तरीय जानकारी व तकनीक बागवानों को उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें निम्न संघटक होंगे :-

(i) विश्व स्तरीय व अधिक उपज देने वाली रोग मुक्त फल फसलों की किस्मों की उपलब्धता व तकनीकी हस्तांतरण सुनिश्चित करना। देश व विदेशों से उच्च गुणवत्ता वाली विभिन्न फल फसलों के पौधों का आयात करके इन किस्मों का विभागीय फल पौधशालाओं में संवर्धन करके फल पौधों को बागवानों की मांग के अनुसार उपलब्ध करवाना।

(ii) जलवायु परिवर्तन के परिपेक्ष में उपयुक्त तकनीकों को बढ़ावा देना। इसके अन्तर्गत लगभग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाना प्रस्तावित है। नव क्षेत्र विस्तार पौध रोपण के अन्तर्गत 18,200 है0 क्षेत्र लाना प्रस्तावित है जिसमें से 3000 है0 सेब पुर्न पौध रोपण और 8800 है0 सेब जीर्णोधार के अन्तर्गत लाया जाना है। विश्व स्तर पर अपनाई जा रही सेब व अन्य शीतोष्ण फल फसलों की सघन खेती के अन्तर्गत कलोनल रूट स्टॉक पर आधारित सुधरी किस्मों के अन्तर्गत 13,700 हेक्टेयर क्षेत्र तथा निचले क्षेत्रों में आम, लीची, नीम्बू प्रजाति, अनार

इत्यादि फल फसलों को 4500 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार से फल फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना।

(iii) परियोजना के अन्तर्गत अधिक पूंजी वाली आधुनिक तकनीकों जैसे कि सघन बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली व प्राकृतिक आपदाओं से फल फसलों के बचाव के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

(ख) बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना व कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देना.—प्रदेश के किसानों व बागवानों को कृषि व बागवानी की फल फसलों की उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त हो सके इसके लिए विपणन अधोसंरचना सुदृढ़ करना तथा खेत खलिहान स्तर पर ही उपज के रख-रखाव व उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

इसके संघटक निम्न प्रकार है :-

(i) किसान समूहों का गठन तथा उनके द्वारा सामूहिक रूप से उपज का एकत्रीकरण व विपणन.—परियोजना के अन्तर्गत 30 किसान समूहों व सामुदायिक किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना। इन केन्द्रों पर किसान व बागवान अपनी उपज को सामूहिक रूप से ग्रेडिंग व पैकिंग तथा उत्पादों को प्रदेश व देश की मण्डियों में विपणन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाना।

(ii) शीत भण्डारण एवं विधायन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण.—इस संघटक के अन्तर्गत प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम एच.पी.एम.सी. द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही ग्रेडिंग पैकिंग, सी0एस0स्टोर व विधायन सुविधाओं का आधुनिकीकरण व उन्नतिकरण करना। इसके अतिरिक्त बागवानों की फल फसलों की उपज को एच.पी.एम.सी. के सी0 ए0 स्टोरों में भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा नेगोशियेबल वेयर-हाउस रसीद के अन्तर्गत बागवानों की भण्डारित फल फसलों के मूल्य के बराबर विक्रय होने तक बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।

(iii) कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु बागवानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना.—इस संघटक के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि आधारित चिन्हित व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इस कार्य के निष्पादन हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाएगी। इन विशेषज्ञों द्वारा सम्बन्धित व्यवसायों के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध करने वाले उद्यमियों के लिए कारोबारी योजना तैयार की जाएगी तथा इस बारे प्रशिक्षण प्रदान करने व उद्यमियों द्वारा चयनित व्यवसायों की स्थापना हेतु बैंकों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ग) विपणन सुविधाओं को विकसित करना व इनका आधुनिकीकरण—

(i) इस घटक का मुख्य उद्देश्य किसानों व बागवानों को उच्च स्तरीय विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत मण्डियों का आधुनिकीकरण व नई मण्डियों को स्थापित करना भी प्रस्तावित है।

(ii) बागवानों को फल फसलों व सब्जियों के विपणन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु (ICT) कक्ष स्थापित करना। किसानों व बागवानों को फल फसलों व सब्जियों का उचित मूल्य मिल सके

इसके लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड में एक (ICT) से कक्ष स्थापित करना प्रस्तावित है जिससे किसानों को विभिन्न मण्डियों के भाव के बारे में स्टीक जानकारी उपलब्ध होगी ताकि किसान व बागवानों को अपने उत्पादों का पारदर्शी विपणन व्यवस्था स्थापित होने पर उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

(iii) परियोजना प्रबन्धन, प्रबोधन व अध्ययन – इस घटक के अन्तर्गत परियोजना के क्रियाकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन करने हेतु प्रदेश स्तर पर परियोजना समन्वयन इकाई व विभागीय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों स्थापित की जाएगी। इसके अलावा परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ी इकाईयों व उद्यान विभाग के निदेशालय, जिला व खण्ड स्तर के कार्यालयों को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली (ICT) से जोड़ा जाएगा ताकि परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त परियोजना के अनुश्रवण हेतु प्रबोधन व मूल्यांकन (M&E) एजेंसी की नियुक्ति भी की जाएगी।

परियोजना का कार्यक्षेत्र : यह परियोजना प्रदेश के समस्त जिलों में क्लस्टर (cluster) के आधार पर कार्यान्वित की जाएगी परन्तु इस परियोजना के घटकों का कार्यान्वयन क्षेत्र की जलवायु व फसलों की उत्पादन क्षमता, संभावना व जलस्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार कानून, 2005 दिनांक 15 जनू, 2005 से कानून का रूप ले चुका है, जो जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से लागू किया गया है। इस अधिनियम की उप धारा (i) नियम 4 (I) (b) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदक वांछनीय सूचना प्राप्त करने के लिये शुल्क ₹10/- का पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्रॉपट/चालान को पत्र के साथ जन सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकता है। जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के सदस्यों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। आवेदन प्राप्ति के बाद जन सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवायेगा। यदि आवेदक को निर्धारित समय सीमा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसके आवेदन पर लिया गया कोई फैसला प्राप्त न हो तो उस अवस्था में लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ सरकारी विभाग के अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपील लोक सूचना अधिकारी के आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर की जानी चाहिए। अपीलीय अधिकारी के फैसले से यदि आवेदक असन्तुष्ट है या फैसला अधिकतम 45 दिनों में नहीं लिया गया है उस स्थिति में आवेदक अपील के फैसले के 90 दिनों के अन्दर राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है। अपील दायर करने के लिये किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है तथा आदेश की कापी भी निःशुल्क प्राप्त होती है।

इस अधिनियम की उप धारा (i) नियम 6 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जब एक प्रार्थना पत्र को जन सूचना अधिकारी को सूचना के सन्दर्भ में भेजा जाता है :-

- (i) जब उसे दूसरे जन सूचना अधिकारी द्वारा रखा जाता है
- (ii) वह विषय जो उस कार्य से अधिक दूसरे जनसूचना अधिकारी से सम्बन्धित हो,

जन सूचना अधिकारी जिन्हें प्रार्थना पत्र व उसके भाग को दूसरे जन सूचना अधिकारी को उचित जगह स्थानान्तरित करेगा तथा शीघ्र ही आवेदक को स्थानान्तरण की सूचना देगा। आवेदन स्थानान्तरण की उप धारा के अनुसरण में शीघ्र अति शीघ्र जितना व्यवहारिक हो। लेकिन कोई भी केस प्रार्थना पत्र की प्राप्ति से पांच दिन से अधिक न हो।

सूचना पाने के लिये निर्धारित शुल्क :

सूचना पाने के लिये निर्धारित शुल्क अदायगी चालान/बैंक ड्रॉपट/पोस्टल ऑर्डर के रूप में की जाती है। जहां सूचना प्रकाशन मूल्य रूप में उपलब्ध है, वह प्रार्थी को मुद्रित मूल्य पर, ए-4 आकार या उससे छोटे पृष्ठ के लिये ₹2/- और बड़े आकार के पृष्ठ के लिये वास्तविक मूल्य न्यूनतम ₹20/- पर, इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में सूचना जैसे फलोपी के लिये ₹50/- व सी0 डी0 के लिये ₹100/- पर उपलब्ध तथा रिकॉर्ड निरीक्षण का शुल्क 30 मिनट या उसके भाग के लिये ₹20/- पर।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 अपील प्राधिकारी हैं। जिनका ई-मेल पता horticult-hp@ nic.in है। निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक उद्यान, हिमाचल प्रदेश, नवबहार,

शिमला-2 जन सूचना अधिकारी हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है। प्रदेश में जिला स्तर पर सम्बन्धित जिले के उप निदेशक उद्यान जन सूचना अधिकारी हैं। विभाग द्वारा वर्ष के दौरान 187 आवेदनों का निपटारा किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवेदनों का जिलावार ब्यौरा

क्र०सं०	जिले का नाम	ए.पी.एल.	वी.पी.एल.	विचाराधीन आवेदन	कुल आवेदन प्राप्त	प्राप्त राशि (₹ में)
1.	कुल्लू	05	—	—	05	0352.00
2.	हमीरपुर	05	—	—	05	0050.00
3.	बिलासपुर	09	—	—	09	0160.00
4.	चम्बा	01	01	—	02	0010.00
5.	सिरमौर	11	01	—	12	0700.00
6.	किन्नौर	07	—	—	07	0070.00
7.	शिमला	—	—	—	—	0000.00
8.	ऊना	07	—	—	07	1340.00
9.	कांगड़ा	15	—	—	15	0555.00
10.	मण्डी	07	01	—	08	0630.00
11.	सोलन	07	—	—	07	0250.00
12.	लाहौल-स्पीति	—	—	—	—	0000.00
13.	उद्यान निदेशालय	42	03	—	45	0840.00
कुल योग :		116	06	—	122	4957.00

**INFORMATION PERTAINING TO STATE INFORMATION COMMISSION,  
HIMACHAL PRADESH FOR THE ANNUAL REPORT 2017-18**

**(Under section 25 of the Right to Information Act, 2005)**

As on March 31, 2018

Sl. No.	Designation of Appellate Authority and Name of Department	Appeals filed before the Appellate Authority (Nos.)			No. of Appeals decided	No. of Appeals not considered
		Appeals received	Appeals accepted	Appeals rejected		
1.	State Information Commission H.P.	----	---	----	---	0
2.	Director of Horticulture, Department of Horticulture, H.P.	5	5	----	5	-----
				Total	5	



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उप धारा (i) नियम 4 (I) (b) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना

(I)

विभाग का संगठनात्मक ढांचा, कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

विभाग प्रधान सचिव (उद्यान) हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है। निदेशक, उद्यान विभाग, विभाग के प्रमुख हैं तथा उनके साथ अतिरिक्त निदेशक उद्यान, संयुक्त निदेशक उद्यान, परियोजना निदेशक (समन्वयक), उप निदेशक उद्यान, विषय विशेषज्ञ उद्यान निदेशालय स्तर पर सहयोग हेतु कार्य करते हैं। विभाग में निम्न विशिष्ट संकाय स्थापित किए गए हैं :-

- (i) सामान्य बागवानी
- (ii) फल पौध पोषण
- (iii) पौध संरक्षण
- (iv) विपणन तथा फसलोत्तर प्रबन्धन
- (v) फल विधायन व उपयोग
- (vi) उद्यान अर्थ एवं सांख्यिकी
- (vii) उद्यान सूचना सेवा
- (viii) खुम्ब विकास
- (ix) मौन पालन

विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण अनुबन्ध (Annexure) क (A) व ख (Annexure) (B) पर दर्शाया गया है।

विभाग के मुख्य कार्य :

- I. सुधरी किस्मों के फल पौधों का उत्पादन एवं वितरण
  - II. नजदीकी केन्द्र से उद्यान उपकरणों की उचित दर पर आपूर्ति का प्रबन्ध करना
  - III. प्रसार एवं परामर्श सेवाओं का विस्तार
- क. किसानों के लिये प्रशिक्षण द्वारा

- ख. प्रदर्शन द्वारा
  - ग. परामर्श भ्रमण द्वारा
  - घ. साहित्य द्वारा
  - ङ. प्रदर्शनी एवं दृश्य-श्रव्य साधनों द्वारा
  - च. जन सम्पर्क माध्यमों के द्वारा
- IV.** निदान/तकनीकी सहायता सेवाओं का प्रदान करना :
- क. फल पौध पोषण प्रयोगशालाओं द्वारा
  - ख. प्लांट हैल्थ क्लीनिक द्वारा
  - ग. फसलोत्तर तथा गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं द्वारा
- V.** आधारभूत ढांचे की संरचना तैयार करना :
- क. फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों की स्थापना
  - ख. पुष्पोत्पादन केन्द्र तथा पौधशालाओं की स्थापना
  - ग. मौन पालन केन्द्रों की स्थापना
  - घ. जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना
  - ङ. पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट तथा स्पॉन बीज तैयार करने के लिये सुविधायें प्रदान करना
- VI.** सहायक (Ancillary) उद्यान गतिविधियों का विकास करना/बढ़ावा देना :
- क. मौन पालन
  - ख. खुम्ब उत्पादन
  - ग. पुष्पोत्पादन
- VII.** फसलोत्तर प्रबन्धन द्वारा :
- क. बाजार भाव सूचना को एकत्र करना व प्रसारित करना
  - ख. बाजार का सर्वेक्षण
  - ग. मण्डी मध्यस्थ योजना एवं समर्थन मूल्य योजनाओं को लागू करना
  - घ. फल परिरक्षण में प्रशिक्षण
  - ङ. सामुदायिक डिब्बाबन्दी योजना
  - च. फल विधायन इकाइयों की स्थापना
- VIII.** उद्यान सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्रित करना व अनुरक्षण करना :
- IX.** नियमित नियन्त्रण :
- क. पौधशाला उत्पादन
  - ख. कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाइयों की गुणवत्ता

## (II)

निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, निरीक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सहित

अंक (II) में दर्शाई गई शक्तियों एवं कर्तव्यों के आधार पर नामोनिर्दिष्ट अधिकारी अपने-अपने कार्यभार एवं कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित मामले अपने स्तर पर हल करते हैं। जो निर्णय उनकी शक्तियों के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें निदेशक उद्यान विभाग को प्रस्तुत किया जाता है तथा जो निर्णय सरकार द्वारा लिये जाने हैं, उन्हें निदेशक उद्यान विभाग के माध्यम से सरकार को भेजा जाता है। नामोनिर्दिष्ट अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में निरीक्षण की शक्तियां रखते हैं तथा अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं।

## (III)

विभाग द्वारा आम जनता एवं कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उद्यान तथा सम्बद्ध गतिविधियों पर अनेक प्रकाशन समय-समय पर प्रकाशित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :-

### I. Publication in English

#### (i) Free Publications:

1. Apple Spray Schedule 2018
2. Hortivision 2020 National Seminar on Himalayan Horticulture
3. Operational Guidelines-Mission for integrated development of Horticulture

#### (ii) Other Publications:

1. Standard Operating Procedures (SOPs) for Progeny-cum-Demonstration Orchards and Fruit Nurseries.
2. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015
3. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Rules, 1973

#### (iii) Priced Publications :

1. Fertilizing Fruit Crops in H.P. by Dr. K.C. Azad & Dr. R.P. Sharma ₹ 19/-
2. Cold Storage of Apples by S. Harbans Singh ₹ 1/-

### II. हिन्दी के प्रकाशन

(क) निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशन :

#### (i) तकनीकी साहित्य का मुद्रण :

1. आम, नीम्बू प्रजाति के फल, लीची, बादाम एवं गुठलीदार फलों के रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु छिड़काव सारणी 2018

2. सेब के रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु छिड़काव सारणी 2018.
3. हिमाचल प्रदेश में समन्वयक बागवानी विकास हेतु बागवानी मिशन के अन्तर्गत किसानों/बागवानों को दी जा रही सहायताएं एवं सुविधाएं
4. सेब के पुराने बागीचों का जीर्णोद्धार
5. हिमाचल प्रदेश में समन्वयक बागवानी विकास हेतु बागवानी मिशन
6. उद्यान विकास-तथ्य एवं आंकड़े

**(ii) अन्य प्रकाशनों का मुद्रण**

1. हिमाचल प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास हेतु बागवानी मिशन के अन्तर्गत किसानों/बागवानों को दी जा रही सहायताएं एवं सुविधाएं
2. फल पौध पोषण विवरण प्रपत्र
3. पत्ती विश्लेषण प्रपत्र
4. हिमाचल प्रदेश में सेब के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े
5. हिमाचल प्रदेश से अन्य उपोष्णदेशीय फलों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े
6. हिमाचल प्रदेश में नीम्बू प्रजातीय फलों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े
7. हिमाचल प्रदेश से अन्य उपोष्णदेशीय फलों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े
8. प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (आवरण पृष्ठ)

**(iii) हिन्दी के प्रकाशन:**

(क) निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशन:

**(i) तकनीकी साहित्य का मुद्रण :**

1. विदेशों से आयातित फल पौधों की किस्मों का विवरण
2. सेब के पुराने बागीचों का जीर्णोद्धार
3. हिमाचल प्रदेश में समन्वयक बागवानी विकास हेतु बागवानी मिशन
4. उद्यान विकास-तथ्य एवं आंकड़े

**(ii) अन्य प्रकाशनों का मुद्रण :**

1. निविदा सूचनाओं का विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन
2. रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रकाशन
3. विज्ञापनों का विभिन्न समाचार-पत्रों, स्मारिकाओं तथा पत्रिकाओं में प्रकाशन
4. फूलों की मूल्य सूची

(ख) मूल्य पर उपलब्ध प्रकाशन :

हिमाचल प्रदेश में कीवी फल की बागवानी-डा० जगमोहन सिंह एवं कमलशील नेगी ₹ 30/-

(IV)

विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के लिये तय किए मानक

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को मार्गदर्शिका के आधार पर तय मानकों के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। निदेशालय फील्ड अफसरों को विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को आबंटित करता है। इन भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा समय-समय पर विभाग द्वारा निदेशालय स्तर पर की जाती है। सरकार द्वारा प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा त्रैमासिक एवं वार्षिक की जाती है।

(V)

विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के लिये प्रयुक्त किए जाने वाले कानून (ऐक्ट), निर्देश, मैनुअल, रिकॉर्ड इत्यादि का ब्यौरा :-

1. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015
2. The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Rules, 1973
3. The Himachal Pradesh Agricultural Pests, Diseases and Noxious Weeds Act, 1969
4. कीटनाशी अधिनियम, 1968
5. फल पौधों का मूल्यांकन
6. एफ.आर.एस.आर
7. सी.सी.एस. व सी.सी.ए. रूल
8. जी पी एफ रूल
9. पैन्शन रूल
10. एच.पी.एफ.आर. रूल
11. मैडिकल अटैडेंस रूल
12. एच.बी.ए. एडवांस रूल
13. टी.ए. रूल
14. बजट मैनुअल
15. डैलिंगेशन ऑफ फाईनैशियल पावर रूल
16. ऑफिस मैनुअल

## (VI)

विभाग द्वारा नियन्त्रित दस्तावेजों की सूची

विभाग द्वारा आम जनता एवं किसानों के फायदे के लिये उद्यान एवं इससे सम्बद्ध विषयों पर बहुत से प्रकाशन प्रकाशित किए हैं जो कि निम्न हैं :-

### (I) Publication in English :

#### (a) Free Publications

1. Hortivision 2020 National Seminar on Himalayan Horticulture
2. Flowers from the Himalayan State Himachal Pradesh
3. Fruits & Vegetable Processing in Himachal Pradesh
4. Spray Schedule Year 2018 (Apple)
5. Operational Guidelines Mission for Integrated Development of Horticulture in H.P.

#### (b) Priced Publications

1. Fertilizing Fruit Crops in H.P. by Dr. K.C. Azad & Dr. R.P. Sharma

### II. हिन्दी के प्रकाशन:

क. निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशन :

(i) पत्रिका- उद्यान विकास-तथ्य एवं आंकड़े

(ii) प्रसार पत्रक

1. सेब के रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु छिड़काव सारणी 2018
2. आम का गुच्छा (माल फारमेशन) रोग
3. नीम्बू प्रजाति का पत्ती छेदक (लीफ माईनर)
4. आम एवं नीम्बू प्रजाति के फलों के रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु छिड़काव सारणी 2018.

(VII)

विभाग द्वारा गठित बोर्ड, काउंसिल, कमेटी इत्यादि का विवरण

उद्यान विभाग द्वारा बागवानी कार्यो को सुचारु रूप से चलाने हेतु निम्नलिखित बोर्ड, काउंसिल, कमेटी इत्यादि का गठन किया गया है :-

- (a) Spray Schedule Committee consisting of 16 Members
- (b) State High Level Purchase Committee for purchase of Plant Protection Material and Equipments -consisting of 8 Members.
- (c) Bee Keeping Advisory Committee for solving various problems regarding Migration, Management Practices, Disposal of Honey and other allied problems consisting of 8 Officials and 4 Non-officials Members.
- (d) State Level Steering Committee for implementation of Centrally Sponsored Scheme on Horticulture Mission for Integrated Development of Horticulture in H.P. consisting of 25 Members.
- (e) District Level Coordination Committee for implementation of Centrally Sponsored Scheme on Technology Mission for Integrated development of horticulture in H.P. consisting of 10 Members.

(VIII)

विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम की उपलब्धता

उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी योजनाओं पर अनुदान, सुविधाओं इत्यादि की जानकारी विभागीय वैबसाईट [www.hpagnisnet.gov.in/horticulture](http://www.hpagnisnet.gov.in/horticulture) पर उपलब्ध है।

(IX)

उद्यान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमानों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान 1-1-2006
श्रेणी-I राजपत्रित		
1.	निदेशक उद्यान विभाग	37400-67000+10000
2.	अतिरिक्त निदेशक उद्यान	37400-67000+8700
3.	संयुक्त निदेशक उद्यान, परियोजना निदेशक	15600-39100+8400
4.	उद्यान अर्थशास्त्री	15600-39100+8200
5.	वरिष्ठ विपणन अधिकारी, वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी, फल प्रोद्योग विज्ञ, उप निदेशक उद्यान, विषय विशेषज्ञ उद्यान,	10300-34800+5000

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान 1-1-2006
	उद्यान विकास अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी	
6.	प्रशासनिक अधिकारी, निजी सचिव, अधीक्षक ग्रेड-I	10300-34800+5400
श्रेणी-2 राजपत्रित		
7.	छाया चित्रण अधिकारी, विधि अधिकारी	10300-34800+4400
8.	अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड-II, निजी सहायक	10300-34800+4800
9.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	10300-34800+4600
श्रेणी-3		
10.	वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ आशुलिपिक	10300-34800+4400
11.	सांख्यिकी सहायक	10300-34800+3800
12.	कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ आशुलिपिक, फोरमैन	10300-34800+3600
13.	छायाचित्रकार, पुस्तकालयाध्यक्ष,	10300-34800+3200
14.	उद्यान प्रसार अधिकारी, क्षेत्रीय अन्वेषक, प्रदर्शक, वरिष्ठ वॉयलर सहायक	5910-20200+2400
15.	चालक	5910-20200+2000
16.	आशुटंकक, संगणक (कम्प्यूटर), प्रयोगशाला सहायक, वॉयलर सहायक, कनिष्ठ तकनीशियन, प्रोजेक्टर ऑपरेटर, मौन पालक, लिपिक, ग्लास ब्लोअर।	5910-20200+1900
श्रेणी-4		
17.	गैस्टेटनर आप्रेटर, दक्षमाली	4900-10680+1800
18.	चपड़ासी, चौकीदार, बेलदार, क्लीनर, स्वीपर	4900-10680+1300

**(X)**

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दूरभाष नम्बर


क्र.सं.	अधिकारी / जनसूचना अधिकारी का पदनाम	फोन नम्बर / ई-मेल	फैक्स नम्बर
राज्य मुख्यालय			
1.	निदेशक, उद्यान विभाग (अपील प्राधिकारी), सम्पूर्ण राज्य, हि0 प्र0।	0177-2842390 @ horticul-hp@nic.in	0177-2842389
2.	संयुक्त निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), हि0 प्र0।	0177-2841309 @ horticul-hp@nic.in	0177-2841389
3.	संयुक्त निदेशक उद्यान (एकीकृत बागवानी विकास मिशन), हिमाचल प्रदेश।	0177-2841449 pd_hm@rediffmail.com	0177-2841389
4.	संयुक्त निदेशक उद्यान (समन्वयक), हि0 प्र0	0177-2841339	—
5.	उद्यान अर्थशास्त्री, हि0 प्र0	0177-2842773	—
6.	उप निदेशक उद्यान (योजना), हि0 प्र0	0177-2841199	0177-2841199
7.	उप निदेशक उद्यान (सूचना), हि0 प्र0	0177-2842773,-147	0177-2842389
8.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (पुष्प उत्पादन), हि0 प्र0	0177-2842773,-147	0177-2842389



क्र.सं.	अधिकारी / जनसूचना अधिकारी का पदनाम	फोन नम्बर / ई-मेल	फैक्स नम्बर
9.	ई0पी0बी0 एक्स0 नम्बर	0177-2842773,-147	—
उद्यान विपणन			
1.	वरिष्ठ विपणन अधिकारी, हि0 प्र0	0177-2841360	0177-2841360
पौध संरक्षण			
1.	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, हि0 प्र0	0177-2844790	0177-2844790
2.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (जैव नियन्त्रण), रझाणा, शिमला-9.	0177-2842773	—
क्षेत्रीय कार्यालय			
1.	अतिरिक्त निदेशक उद्यान (मुख्यालय) धर्मशाला	01892-228687	01892-222365
2.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), धर्मशाला।	01892-223183, 225110	01892-223183
3.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), कुल्लू	01902-222407	01902-222407
4.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (मुख्यालय), जिला कुल्लू	01902-222479	—
5.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (मुख्यालय), जिला हमीरपुर	01972-224757, 23946	01972-224757
6.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), ऊना	01975-223235	01975-223235
7.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), चम्बा	01899-222845	01899-222339
8.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), केलांग	01900-222250	01900-222250
9.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), शिमला	0177-2841647	0177-2844069
10.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (मुख्यालय), जिला शिमला	0177-2844069	—
11.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), सोलन	01792-230741	01792-230741
12.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), नाहन,	01702-222407	01702-222407
13.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), मण्डी	01905-236095	01905-236095
14.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), बिलासपुर।	01978-222363	01978-222363
15.	उप निदेशक उद्यान (जन सूचना अधिकारी), रिकांगपिओ	01786-222362	01786-222362
16.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (मुख्यालय), जिला किन्नौर	01786-222237	—
17.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, राजगढ़ (सिरमौर)	01799-221033	01799-221033
18.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, काजा (लाहौल-स्पीति)	01906-222241	—
19.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, किलाड़ (पांगी-चम्बा)	01897-222215	01897-222215
20.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, भरमौर (चम्बा)	01895-225038	01895-225038
21.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, रामपुर (शिमला)	01782-234557	01782-234557
22.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, रोहडू (शिमला)	01781-240707	01781-240707
23.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, कोटखाई, जिला शिमला	01783-255253	01783-255253
24.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, आनी (कुल्लू)	01904-253409	01904-253409

क्र.सं.	अधिकारी / जनसूचना अधिकारी का पदनाम	फोन नम्बर / ई-मेल	फैक्स नम्बर
फल पौध पोषण			
1.	वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी, हि0 प्र0, शिमला-2	0177-2842773	0177-2842389
2.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (पौध पोषण), धर्मशाला	01892-222365	01892-222365
3.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (पौध पोषण), कोटखाई	01783-.255253	
खुम्ब अनुभाग			
1.	उप निदेशक उद्यान (योजना), हि0 प्र0	0177-2841199	0177-2841199
2.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (खुम्ब), चम्बाघाट, सोलन	01792-230768,-79	01792-230741
3.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (खुम्ब), पालमपुर	01894-231320	01894-231320
4.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल विकास परियोजना), बजौरा, कुल्लू	01902-265154	01902-265154
मधुमक्खी अनुभाग			
1.	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, हि0 प्र0	0177-2842773	0177-2842389
2.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (मौन पालन), शिमला	0177-2645949	0177-2844790
3.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (मौन पालन), कांगड़ा	01892-265070	01892-265070
पुष्प अनुभाग			
1.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (पुष्प उत्पादन), हि0 प्र0	0177-2842773	0177-2842389
2.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (आधुनिक पुष्प केन्द्र), महोगबाग, चायल, सोलन।	01792-248220	01792-248060
3.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (आधुनिक पुष्प केन्द्र), होल्टा, पालमपुर।	01894-235117	01894-231320
फल विधायन			
1.	फल प्रौद्योग विज्ञ, शिमला	0177-2842773	0177-2841309
2.	फल प्रौद्योग विज्ञ, नगरोटा बगवां (कांगड़ा)	01892-252291	01892-252291
3.	फल प्रौद्योग विज्ञ, धौलाकुआं (सिरमौर)	01704-257427	01704-257427
4.	फल प्रौद्योग विज्ञ, शमशी (कुल्लू)	01902-260093	01902-260093
5.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल विधायन), रिकांगपिओ (किन्नौर)।	01786-222289	01786-222289
6.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल विधायन), राजपुरा (चम्बा)।	01899-222845	—
7.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल विधायन), निहाल, बिलासपुर।	01978-222345	—
8.	विषय विशेषज्ञ उद्यान (फल विधायन), राजगढ़ (सिरमौर)।	01799-221014	01799-221014
9.	प्रदर्शक, टौणी देवी, हमीरपुर	01972-279152	—

**ADMINISTRATIVE SET-UP OF DEPARTMENT OF HORTICULTURE,  
HIMACHAL PRADESH**



**FUNCTIONAL SET-UP OF DEPARTMENT OF HORTICULTURE,  
HIMACHAL PRADESH**

**Directorate of Horticulture**



**Additional Directorate North Zone (Dharamshala)**



**Districts**



**Blocks**



**PCDO's/HEC's/PPC's/BKS's/FCU's/ Mushroom Units/Floriculture Units/  
Plant Nutrition Labs.**